दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित : 01.02.2024

निर्णय उद्घोषित : 05.02.2024

रि.या.(सि.) 9835/2020 और सि.वि.आ. सं.34989/2021 (निर्देश हेतु)

जिला और सत्र न्यायालय कर्मचारी कल्याणकारी संगठन ......याचिकाकर्ता

बनाम

जिला और सत्र न्यायाधीश प्रमुख व अन्य ...... प्रत्यर्थीगण

इस मामले में पेश हुए अधिवक्तागण:

याचिकाकर्ता हेतु : श्री रजत अनेजा, सुश्री वंदना अनेजा, सुश्री अलका द्विवेदी और श्री पुनीत धवन, अधिवक्तागण

प्रत्यर्थीगण हेतु : श्रीमती अवनीश अहलावत, स्थायी अधिवक्ता सह श्रीमती तानिया अहलावत, श्री नीतेश कुमार सिंह, सुश्री लावण्या कौशिक, सुश्री अलीज़ा आलम और श्री मोहनीश सहरावत, अधिवक्तागण।

कोरम:
माननीय श्री न्यायाधीश तुषार राव गेदेला

निर्णय

न्या. तुषार राव गेदेला

1. यह भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित राहतों की मांग की गई है:-

"इसलिए, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायाधीश कृपया उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट और/या इसी प्रकृति का कोई अन्य उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करने की कृपा करें; जिससे प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा जारी दिनांक 25.09.2020 के पत्र को रद्द किया जा सके, और परिणामस्वरूप परमादेश की प्रकृति में रिट और/या इसी प्रकृति के किसी अन्य उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश के माध्यम से प्रत्यर्थीगण को निम्नलिखित प्रभाव हेतु निर्देशित करने के लिए उचित निर्देश पारित किए जा सकें:

क. प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा जारी दिनांक 29.01.2013 और 08.08.2019 के पत्रों तथा प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा जारी दिनांक 18.02.2019 की अधिसूचना के अनुरूप और अनुपालन में वरिष्ठ न्यायिक सहायकों और न्यायिक सहायक (पूर्ववर्ती नाम क्रमशः रीडर और अहलमद) की रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति करना; साथ ही उन रिक्तियों के उत्पन्न होने की तिथि से सभी परिणामी लाभ, अर्थात् वरिष्ठता, बकाया आदि;

ख. साथ ही, ऊपर वर्णित विस्तृत तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उपस्थित भर्ती अभियान के माध्यम से वरिष्ठ न्यायिक सहायक और न्यायिक सहायक की पदोन्नति के कारण रिक्त होने वाले जूनियर न्यायिक सहायक (पूर्ववर्ती नाम सहायक अहलमद) के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल उचित उपाय करना।"

2. जबकि उपरोक्त प्रार्थनाओं की मांग करने वाली उक्त रिट याचिका लंबित थी, इस बीच प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 24.09.2021 (न्यायिक सहायकों से वरिष्ठ न्यायिक सहायकों तक) और 25.09.2021 (कनिष्ठ न्यायिक सहायकों से न्यायिक सहायकों तक) के आदेशों के माध्यम से याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को पदोन्नति प्रदान की थी। याचिकाकर्ता संघ का दावा है कि उक्त आदेशों के तहत दी गई पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होनी थी। उक्त आदेशों के संबंध में उनकी शिकायत यह थी कि इसे उस तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए था, जब रिक्तियां उत्पन्न हुई थी।

3. उपरोक्त दो आदेशों के तहत दी गई पदोन्नतियों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू न करने का विरोध करते हुए, याचीगण ने प्रस्तुत किया कि उन्हें निम्नलिखित राहत प्राप्त करने के लिए सि.वि.आ. 34989/2021 के तहत आवेदन दायर करने के लिए बाध्य किया गया: -

> *"इसलिए, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय प्रत्यर्थीगण और विशेष रूप से प्रत्यर्थी सं. 1 को, पात्र कर्मचारियों को रिक्तियों के उत्पन्न होने की संबंधित तिथियों से पदोन्नति प्रदान करने का निर्देश दे, न कि संभावित रूप से, जैसा कि इसके साथ संलग्न दिनांक 24.09.2021 और 25.09.2021 के कार्यालय आदेशों द्वारा किया गया है, और साथ ही ऊपर वर्णित तथ्यों को देखते हुए, पैरा 6 (ii) और (iii) में उल्लिखित शिकायतों के संबंध में उचित निर्देश जारी करें।*

कोई अन्य आदेश (आदेशों) जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ठीक और उचित समझे, कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में और प्रत्यर्थीगण के खिलाफ पारित किया जा सकता है।"

4. उक्त आवेदन इस न्यायालय द्वारा 05.10.2021 को लिया गया था, जिसके तहत 05.10.2021 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को एक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि पदोन्नति कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से क्यों दी गई है, न

5. उपरोक्त आवेदन सहित रिट के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थीगण ने अधिसूचना/विज्ञापन दिनांक 20.12.2023 के माध्यम से, न्यायिक सहायकों (जिन्हें आगे *"जेए"* कहा जाएगा) से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर योग्यता के आधार पर चयन करके 50% कोटा के तहत वरिष्ठ न्यायिक सहायक (जिन्हें आगे *"एसजेए"* कहा जाएगा) के पद के लिए 233 रिक्तियों को भरने के लिए जिला न्यायालयों के पात्र अधिकारियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। दूसरे शब्दों में, विज्ञापन ने दिल्ली जिला न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2012 (संक्षेप में *"2012 नियम"*) के तहत विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (जिन्हें आगे *"डीसी परीक्षा"* कहा जाएगा) के माध्यम से एसजेए के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र न्यायिक सहायकों को आमंत्रित किया। अस्थायी तिथि 14.01.2024 निर्धारित की गई थी।

6. इसे चुनौती देते हुए और उक्त परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांगते हुए याचिकाकर्ता संघ ने सि.वि.आ. 171/2024 के तहत एक आवेदन दायर किया था जिसमें निम्नलिखित प्रार्थनाएं की गई थीं:-

> *"इसलिए, सबसे सम्मान पूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय प्रत्यर्थीगण को, विशेष रूप से प्रत्यर्थी सं. 1 को एकपक्षीय अंतरिम निर्देश जारी करने की कृपा करे, जिससे उक्त प्रत्यर्थी को 20.12.2023 की अधिसूचना के तहत डीसीई (विभागीय प्रतियोगी परीक्षा) आयोजित करने से रोका जा सके और इसके संचालन पर रोक लगाई जा सके; या हालांकि, न्याय के हित में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले ऐसे उचित निर्देशों के अधीन, ऊपर बताए गए तथ्यों को देखते हुए, वैकल्पिक रूप से, प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ काम करने वाले न्यायिक सहायकों को, जो वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान दिनांक 25.09.2021 और 21.04.2023 के कार्यालय आदेशों के तहत पदोन्नत हैं, को उक्त अधिसूचना दिनांक 20.12.2023 के अनुसार विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाए और वरिष्ठ न्यायिक सहायकों के पद के लिए उनके आवेदनों को संसाधित करने और स्वीकार करने का निर्देश दिया जाए ताकि वे पूरी तरह से भाग ले सकें।"*

7. दिनांक 03.01.2024 को याचिकाकर्ता की सुनवाई के बाद, इस न्यायालय ने, पूर्णतः समानता को संतुलित करने के उद्देश्य से, प्रत्यर्थी सं. 1 को याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को उक्त परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया था। प्रत्यर्थी सं. 1 ने ले.पे.अ. सं. 21/2024 वाली अपील के माध्यम से इसे चुनौती दी और दिनांक 09.01.2024 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय की

विद्वान खंड न्यायपीठ ने इस निर्देश को रद्द कर दिया और इस न्यायालय को दिनांक 05.02.2024 तक रिट याचिका का संपूर्ण निपटान करने का निर्देश दिया। दिनांक 09.01.2024 के आदेश का प्रभावी भाग नीचे उद्धृत है:-

"6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/संघ की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री रजत अनेजा का कहना है कि यदि काल्पनिक सेवा को ध्यान में रखा जाए तो प्रत्यर्थी संघ के सदस्य पात्रता की शर्तों को पूरा करेंगे। यही वह पहलू है जिस पर लंबित रिट याचिका में निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

7. चूंकि परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी की पात्रता मामले का मूल है, इसलिए हमारे अनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया अंतरिम निर्देश पक्षकारगण के हित में नहीं होगा। यदि अंतरिम निर्देश जारी किया जाता है, तो न्यायालय को सबसे पहले यह निष्कर्ष निकालना होगा कि राहत प्रदान करने के लिए प्रथम दृष्टया बनाया गया है। अन्य दो परीक्षण, अर्थात सुविधा का संतुलन, और यह कि यदि मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जाती है तो अपूरणीय क्षति होगी, प्रथम दृष्टया मामले की स्थापना का अनुसरण करते हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने केवल "समानता को संतुलित करने" पर ध्यान दिया है।

8. श्री अनेजा ने इस बात पर जोर दिया कि यदि प्रत्यर्थी संघ के सदस्य परीक्षा देने में असमर्थ हैं, तो आक्षेपित पदों को भर दिया जाएगा, जिससे उनकी पदोन्नति की संभावना कई वर्षों तक पीछे चली जाएगी।

9. पक्षकारगण के अधिवक्तागण की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि परीक्षा को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया जाए और विद्वान एकल न्यायाधीश से अनुरोध किया जाए कि वे किसी न किसी तरह से यथाशीघ्र रिट याचिका का निपटारा करें।

10. तदनुसार, हमने यह सुझाव सुश्री अहलावत के समक्ष रखा, जो अपीलार्थी की ओर से उपस्थित हैं।

10.1 सुश्री अहलावत का कहना है कि परीक्षा पांच (5) सप्ताह बाद यानी 11.02.2024 को आयोजित की जा सकती है।

10.2 सुश्री अहलावत का बयान अभिलेख पर लिया जाता है।

11. तदनुसार, रिट याचिका में अंतिम निर्णय को सक्षम करने के लिए ही आक्षेपित आदेश को अलग रखा जाता है।

12. विद्वान एकल न्यायाधीश से अनुरोध है कि वे रिट याचिका का निपटारा 05.02.2024 को या उससे पहले करें।

13. सुश्री अहलावत परीक्षा स्थगित होने के बारे में अभ्यर्थियों को सूचित करने के लिए कदम उठाएगी।

14. रिट याचिका विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दिनांक 11.01.2024 को सूचीबद्ध की जाएगी।

15. अपील का निपटारा उपर्युक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

16. लंबित अंतर्वर्ती आवेदन भी बंद रहेंगे।

17. पक्षकारगण आदेश की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति के आधार पर कार्य करेंगे।"

8. उपर्युक्त को देखते हुए, इस न्यायालय ने दिनांक 23.01.2024, 29.01.2024, 30.01.2024 और 01.02.2024 को पक्षकारगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की विस्तृत दलीलें सुनी थी, जब निर्णय सुरक्षित रखा गया था।

9. दलीलों का अवलोकन करने और पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलें सुनने के बाद, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों का निर्धारण किया जाना आवश्यक है:-

क. क्या याचिकाकर्ता संघ के सदस्य जिन्हें दिनांक 24.09.2021 और 25.09.2021 के आदेशों के तहत एसजेए और जेए के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया गया था, उन्हें ऐसी रिक्तियों के उत्पन्न होने की तिथि से भूतलक्षी पदोन्नति या अनुमानित पदोन्नति मांगने का कोई अधिकार है?

ख. यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रश्न (क) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या याचिकाकर्ता संघ के सदस्य एसजेए के पद के लिए दिनांक 20.12.2023 की अधिसूचना के अनुसार डीसी परीक्षा में भाग लेने के पात्र हैं, जो अब दिनांक 11.02.2024 को आयोजित होने वाली है?

10. याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका और आवेदनों में बताए गए अनावश्यक विवरणों को छोड़कर तथ्यात्मक पहलुओं को निम्नानुसार निकाला गया है:-

*क. **29.01.2013:** रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (प्रत्यर्थी सं. 2) ने पत्र 29.01.2013 के माध्यम से विभिन्न पदों को मंजूरी दी, जिसमें 165 एसजेए, जेए और जेजेए के पद और 150 न्यायिक अधिकारी पद (50 डीएचजेएस और 100 डीजेएस) शामिल हैं, इस शर्त के साथ कि सहायक कर्मचारी पद तब भरे जाएंगे जब न्यायिक अधिकारी पद भरे जाएंगे। न्यायिक*

अधिकारी के ये पद 2013 से 2016 तक भरे गए थे। प्रत्यर्थी सं. 1 (जिला न्यायाधीश का कार्यालय) ने 2013 से 2021 तक डीपीसी आयोजित की, लेकिन याचिकाकर्ता संघ के बार-बार अनुस्मारक के बावजूद विभाग इन रिक्तियों/स्वीकृतियों को भरने में विफल रहा।

ख. ***23.08.2017*** *को प्रत्यर्थी सं. 1 ने 868 जेजेए को जेए के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति प्रदान की (50:50 के अनुपात में उक्त पदों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप) जो कि रि.या.(सि.) 5686/1998 में जगदीश राणा एवं अन्य बनाम केवल कुमार शर्मा एवं अन्य नामक अवमानना वाद (सिविल) सं. 1079/2016 में दिनांक 02.05.2017 के आदेश के अनुसार है (दिनांक 22.03.2010 का आदेश, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा)।*

ग. ***23.09.2017:*** *याचिकाकर्ता संघ ने दिनांक 23.09.2017 को एक अभ्यावेदन में विभाग के ध्यान में शेष 2013 रिक्तियों को लाया तथा उन्हें तत्काल भरने का अनुरोध किया। हालांकि, दिनांक 23.08.2017 के पदोन्नति आदेश के क्रम में, जिसमें 868 जेजेए को सभी लाभों के साथ जेए में पदोन्नत किया गया था, याचिकाकर्ता संघ के 23.09.2017 के अभ्यावेदन तथा 2013 की रिक्तियों पर विचार किए बिना दिनांक 06.12.2017 को एक अनुवर्ती आदेश (जिसके लिए दिनांक 08.11.2017 को डीपीसी आयोजित की गई) जारी किया गया।*

घ. अत: प्रथम रि.या.(सि.) सं. 2719/2018 दायर की गई तथा 21.03.2018 को इसका निपटारा किया गया, जिसमें प्रत्यर्थीगण को 23.09.2017 तथा 23.11.2017 के अभ्यावेदनों पर 12 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।

ङ याचिकाकर्ता संघ ने 21.03.2018 के आदेश के अनुपालन की 21 सप्ताह तक प्रतीक्षा की। हालांकि, गैर-अनुपालन के बाद, 31.08.2018 को अवमानना वाद (सिविल) सं. 662/2018 दायर की गई। बाद में प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद कि मामले पर 23.09.2017 के अभ्यावेदन के आलोक में विचार किया जाएगा और पदोन्नति को जल्द से जल्द प्रभावी किया जाएगा, मामला वापस ले लिया गया।

*च. **14.01.2019:** दिनांक 31.12.2018 की रिक्ति अधिसूचना और आरटीआई प्रतिक्रिया से पता चला कि ये रिक्तियां 2013 में मंजूर की गई थी और 2018 में शामिल की गयी। इस प्रकार, डीपीसी/चयन समिति ने 14.01.2019 की अपनी बैठक में 323 जेए पदों के लिए जेजेए की पदोन्नति पर संबोधित किया, लेकिन बार-बार याद दिलाने के बावजूद दो साल से अधिक समय तक कोई परिणाम नहीं मिला।*

*छ. **सितंबर 2020** में, याचिकाकर्ता संघ ने दूसरा रि.या.(सि.) सं. 5940/2020 दायर किया, जिसका 03.09.2020 को*

निपटारा कर दिया गया, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 1 को रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने और याचिकाकर्ता संघ के अभ्यावेदन को चार सप्ताह के भीतर निपटाने के निर्देश दिए गए।

*ज. **<u>04.12.2020:</u>** 12 सप्ताह से अधिक समय के बाद, प्रत्यर्थी जवाब देने में विफल रहा, इस प्रकार याचिकाकर्ता संघ ने मुकदमेबाजी के चौथे/वर्तमान चरण, रि.या.(सि.) 9835/2020 दायर किया।*

<u>याचिकाकर्ता संघ की ओर से तर्क:-</u>

<u>तथ्यात्मक दावे:-</u>

11. याचिकाकर्ता संघ के विद्वान अधिवक्ता श्री रजत अनेजा ने शुरू में कहा कि वर्तमान याचिका उक्त संघ द्वारा अपने समान स्थिति वाले सहकर्मियों के लिए और उनकी ओर से दायर की जा रही है, जो उक्त संघ के सदस्य हैं और प्रत्यर्थी सं. 1 की संदिग्ध निष्क्रियता से सीधे और समान रूप से प्रभावित हैं। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को प्रत्यर्थीगण की संदिग्ध निष्क्रियता के कारण उनके उचित और वैध अधिकारों से वंचित किया गया है।

12. इसके अनुसरण में श्री अनेजा ने इस न्यायालय को निम्नलिखित तर्कों को स्थापित करने के लिए अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों के पूरे सेट का बहुत बारीकी से अध्ययन कराया।

13. श्री अनेजा ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने दिनांक 29.01.2013 के पत्र के माध्यम से, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवाओं (इसके बाद *"डीएचजेएस"* के रूप में संदर्भित) के तहत 50 अतिरिक्त पदों और दिल्ली न्यायिक सेवाओं (इसके बाद *"डीजेएस"* के रूप में संदर्भित) के तहत 100 पदों का सृजन करते हुए, सहायक कर्मचारियों के लिए भी पद सृजित किए, जिसमें रीडर (अब एसजेए के रूप में नामित) के 165 रिक्त पद, और अहलमद (अब जेए के रूप में नामित) और सहायक अहलमद (अब जेजेए के रूप में नामित) दोनों के 360 रिक्त पद शामिल हैं।

14. श्री अनेजा, इस न्यायालय का ध्यान दिनांक 22.03.2010 को इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रि.या.(सि.) 5686/1998 में पारित निर्णय, जिसका शीर्षक *"जगदीश राणा एवं अन्य बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य"* है, की ओर आकर्षित करते हुए अपने तर्कों की शुरुआत करते हैं, विशेष रूप से पैरा 15 की ओर, यह प्रस्तुत करने के लिए कि उक्त निर्णय प्रत्यर्थी सं. 1-संस्था के एलडीसी एवं यूडीसी कर्मचारियों द्वारा सामना की जा रही असमानता एवं व्यापक गतिरोध को कम करने के लिए पारित किया गया था। उक्त रिट याचिका, केन्द्र सरकार के दिनांक 16.10.1979 और 20.03.1994 के परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए, सम्पूर्ण काडर के पुनर्गठन के कार्यान्वयन हेतु दायर की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि उक्त निर्णय के विरुद्ध वि.अनु.या. भी

दिनांक 27.02.2017 के आदेश के तहत खारिज कर दी गई थी, तथा पैरा 15 में निहित निर्देशों का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर किया गया था। उक्त निर्णय में दिए गए 50:50 अनुपात के कार्यान्वयन के लिए समिति के विचारार्थ वर्ष 2017 में रिक्ति चार्ट तैयार किया गया था। अंत में, दिनांक 23.08.2017 के पदोन्नति आदेश के अनुसार, प्रत्यर्थी सं. 1 ने 50:50 (जेए:जेजेए) के अनुपात में उक्त पदों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 868 जेजेए को न्यायिक सहायकों (जेए) के पद पर नियमित आधार पर (वरिष्ठता और वेतन के बकाया सहित सभी परिणामी लाभों के साथ भूतलक्षी रूप से) उन्नयन/पदोन्नति प्रदान की। हालांकि, उसी समय, स्पष्ट रिक्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिन्हें इस बार भी दिनांक 29.01.2013 के पत्र के माध्यम से विधिवत मंजूरी दी गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि इसके बाद, 19.08.2017 को एक और डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को सेवा की अर्हक अवधि (अर्थात जेजेए के रूप में 5 वर्ष) पूरी होने की तारीख से नियमित आधार पर जेजेए से जेए में भूतलक्षी पदोन्नति प्रदान की गई।

15. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इसके बाद याचिकाकर्ता संघ ने दिनांक 23.09.2017 के अभ्यावेदन के माध्यम से 2013 की उपलब्ध स्वीकृत रिक्तियों की ओर ध्यान दिलाया तथा इन रिक्त पदों को तत्काल भरने का अनुरोध किया। हालांकि, दिनांक 23.08.2017 के पदोन्नति आदेश के क्रम में,

जिसके तहत 868 जेजेए को जेए में सभी लाभों के साथ पदोन्नत किया गया था, याचिकाकर्ता संघ के दिनांक 23.09.2017 के पूर्वोक्त अभ्यावेदन और वर्ष 2013 से संबंधित शेष रिक्तियों पर विचार किए बिना, दिनांक 06.12.2017 को एक अनुवर्ती आदेश जारी किया गया (जिसके लिए दिनांक 08.11.2017 को डीपीसी आयोजित की गई थी)।

16. इसके बाद, रि.या.(सि.) सं. 2719/2018 वाली पहली रिट याचिका दायर की गई, जो 21.03.2018 को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी, और पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, यह न्यायालय प्रत्यर्थी सं. 1 को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर शीघ्रता से विचार करने और उक्त आदेश पारित होने की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर रिक्त पदों को भरने के लिए सभी प्रयास करने के स्पष्ट निर्देश के साथ उक्त रिट याचिका का निपटारा करने में प्रसन्न था।

17. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका रि.या.(सि.) सं. 2719/2018 में पारित दिनांक 21.03.2018 के आदेश के प्रति प्रत्यर्थीगण की जानबूझकर की गई अनदेखी और जानबूझकर की गई अवज्ञा के कारण याचिकाकर्ता संघ को प्रत्यर्थीगण के खिलाफ अवमानना याचिका, अवमानना वाद (सि) सं. 662/2018 दाखिल करने के लिए बाध्य होना पड़ा। हालांकि, प्रत्यर्थीगण ने उक्त अवमानना याचिका की सुनवाई की पूर्ववर्ती दिन

याचिकाकर्ता संघ को हितकारी प्रतिफल का आश्वासन दिया और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता संघ ने उक्त मौखिक आश्वासन का सम्मान किया और तदनुसार 31.08.2018 को इस न्यायालय से उक्त अवमानना याचिका वापस ले ली। यद्यपि, विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्यर्थीगण द्वारा इस पर पर्याप्त आपत्तियां जताई जा सकती हैं, उन्होंने आगे तर्क दिया कि इसका अनुमान तब के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज अवमानना वापसी आदेश में *"इस स्तर पर"* शब्द के उपयोग से लगाया जा सकता है।

18. श्री अनेजा ने आगे तर्क दिया कि अवमानना वापस लेने के बाद, अब पहली बार याचिकाकर्ता संघ के लिए कुछ अनुकूल हुआ है, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 1 ने वर्ष 2018 में रिक्तियों की स्थिति को दर्शाया है। यह दिनांक 31.12.2018 की रिक्तियों की अधिसूचना और आरटीआई प्रतिक्रिया से पता चलता है। बेशक, ये उपलब्ध रिक्तियां वर्ष 2013 में स्वीकृत की गई थीं और वर्ष 2018 में शामिल की गई थीं। तदनुसार, डीपीसी/चयन समिति ने दिनांक 14.01.2019 की अपनी बैठक में न्यायिक सहायकों के 323 रिक्त पदों के लिए जेजेए की पदोन्नति का मामला उठाया, हालांकि, कई अनुस्मारक के बावजूद दो साल से अधिक समय तक कोई सार्थक परिणाम नहीं मिला। दिनांक 14.01.2019 के कार्यवृत्त का एक मात्र अवलोकन आगे बताता है कि विभाग याचिकाकर्ता संघ के पात्र सदस्यों को पदोन्नति के उनके वैध अधिकार से वंचित करने पर तुला हुआ था। उक्त पहलू

की पुष्टि उक्त कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या 9 पर सारणी के एजेंडा संख्या 3, क्रम संख्या 16, तथा दिनांक 14.01.2019 के कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या 13 पर एजेंडा संख्या 5 के सामूहिक वाचन से की जा सकती है। दिनांक 14.01.2019 के उक्त कार्यवृत्त, जो पीडीएफ पृष्ठ- 631 पर वर्तमान याचिका का हिस्सा है, को निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है:-

> 5. **<u>323 रिक्त पदों पर जेजेए की पदोन्नति:-</u>** भर्ती प्रकोष्ठ की ओर से सूचित किया जाता है कि प्रशासन शाखा से जेडओसी प्राप्त हो गई है और दिनांक 19.12.2018 की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, सतर्कता मंजूरी रिपोर्ट, शास्ति की मुद्रा और पिछले पांच वर्षों यानी 2013-17 के लिए एसीआर जैसे अन्य विवरण पहले ही संबंधित तिमाहियों से दिनांक 05.01.2019 के पत्रों के माध्यम से मांगे/आमंत्रित किए जा चुके हैं। समिति ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त की जाए, एक सारणीबद्ध चार्ट तैयार किया जाए और इसे जल्द से जल्द समिति के समक्ष रखा जाए।
>
> समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्देश देने का संकल्प लिया कि आज के कार्यवृत्त की एक प्रति आवश्यक अनुपालन हेतु प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) प्रशासन शाखा- II, केंद्रीय को मुहरबंद में भेजी जाए।

19. इससे श्री अनेजा प्रस्तुत करते हैं कि वर्ष 2013 से 2021 तक डी.पी.सी. लगातार आयोजित की गई, लेकिन वर्ष 2013 में मंजूर रिक्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया। दिनांक 14.01.2019 की डी.पी.सी. बैठक के कार्यवृत्त से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 323 रिक्तियां उपलब्ध होने के बावजूद, महुर बंद लिफाफे में पदोन्नति के बहाने स्थानापन्न पदोन्नति वापस ले ली गई और दिनांक 06.12.2017 के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, जेए की 'कल्पित पदोन्नति'

की तिथि को संशोधित किया गया और उन्हें 22.08.2008 से कल्पित पदोन्नति भी प्रदान की गई।

20. श्री अनेजा ने आगे तर्क दिया कि प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से इस तरह की सोच समझकर और जानबूझकर की गई निष्क्रियता ने याचिकाकर्ता संघ को सितंबर 2020 के महीने में दूसरे रि.या.(सि) 5940/2020 के माध्यम से फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया, जिसका 03.09.2020 को ही निपटारा कर दिया गया था, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 1 को यथाशीघ्र रिक्तियों को भरने और याचिकाकर्ता संघ के अभ्यावेदन का चार सप्ताह के भीतर निपटारा करने के निर्देश दिए गए थे।

21. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इसके अनुसरण में याचिकाकर्ता संघ ने अपने दिनांक 07.02.2020 के अभ्यावेदन के माध्यम से प्रत्यर्थी सं. 1 से संपर्क किया था, जिसने तब दिनांक 25.09.2020 के अपने पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता संघ के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 25.09.2020 का पत्र, किसी भी ठोस कारण के अभाव के अतिरिक्त, पूरी तरह से अस्पष्ट और अस्थिर है क्योंकि प्रत्यर्थी सं. 1 ने उसमें देखा कि नियुक्तियाँ और पदोन्नति कुछ कारणों से नहीं हो सकती हैं, जैसे कि दिल्ली जिला न्यायालयों में कर्मचारियों की भर्ती के उद्देश्य से बजटीय आवंटन के

सत्यापन का लंबित होना, आपसी परस्पर सह ज्येष्ठता विवादों के संबंध में मुकदमेबाज़ी का लंबित होना आदि।

22. विद्वान अधिवक्ता श्री अनेजा ने इस न्यायालय का ध्यान दिनांक 31.12.2018 की रिक्तियों की अधिसूचना की ओर आकर्षित किया है, जो दिनांक 02.08.2021 को एक आरटीआई के उत्तर में प्रदान की गई थी, जिसके तहत प्रत्यर्थी सं. 1/विभाग ने एसजेए और जेए के लिए प्रत्येक में 165 पदों सहित वर्षवार रिक्तियों की जानकारी दी थी। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान बिन्दु 5 के उत्तर में उक्त सारणीबद्ध रिक्ति पद से जुड़े (तारांकित*) चिह्न की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया है तथा प्रस्तुत किया है कि ऐसे (तारांकित*) चिह्न के माध्यम से प्रत्यर्थी ने स्वयं स्वीकार किया है कि रिक्ति पद वर्ष 2013 में मंजूर किया गया था, लेकिन वर्ष 2018 तक इसमें शामिल नहीं किया गया। बेहतर स्पष्टता के लिए, उक्त दस्तावेज को नीचे उद्धृत किया गया है:-

विषय: आरटीआई आईडी सं.- श्री अभिनव

श्री अभिनव गर्ग, डी2/23, राजस्थानी अपार्टमेंट, पीतमपुरा, दिल्ली-34 {मोबाइल 9015022288} द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन की प्रति के साथ दिनांक 14.07.2021 का पत्र संख्या 39494/आरटीआई केंद्रीय/2021/11508 प्राप्त हुआ है, जो सुश्री उषा अरोड़ा, जन सूचना अधिकारी, आरटीआई (केंद्रीय), तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली से प्राप्त हुआ है।

आवेदक श्री अभिनव द्वारा मांगी गई जानकारी नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत/उत्तर दी जा रही है:

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>प्रश्न</th><th>जानकारी</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>कृपया वर्ष 2001 से लेकर वर्तमान वर्ष तक वरिष्ठ न्यायिक सहायक के रिक्त पदों का वर्षवार ब्यौरा तथा ऐसे पद की नियुक्ति/पदोन्नति का वर्ष बताएं। कृपया वर्षवार विशिष्ट ब्यौरा दें।</td><td>एसजेए के पद के लिए वर्षवार रिक्तियां निम्नानुसार हैं:
<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>वर्ष</th><th>रिक्तियां</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2013</td><td>15</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2014</td><td>15</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2015</td><td>14</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2016</td><td>17</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2017</td><td>23</td></tr>
<tr><td>6</td><td>2018</td><td>25+165*</td></tr>
<tr><td>7</td><td>2019</td><td>40</td></tr>
<tr><td>8</td><td>2020</td><td>40</td></tr>
<tr><td>9</td><td>2021</td><td>55</td></tr>
</table>
*वर्ष 2013 में स्वीकृत वर्ष 2018 में शामिल</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कृपया वर्ष 2001 से पहले दिल्ली जिला न्यायालय में जेजेए (पूर्व में एलडीसी के रूप में जाना जाता था) के रूप में वर्षवार नियुक्त व्यक्ति के संबंध में जानकारी दें, जिन्हें वर्ष 2001 से वरिष्ठ न्यायिक सहायक के रूप में पदोन्नति हेतु विचार किया गया है।</td><td>प्रश्न स्पष्ट नहीं है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>कृपया वर्तमान में रिक्त पड़े वरिष्ठ न्यायिक सहायक के</td><td>30.06.2021 तक एसजेए के 377 पद रिक्त हैं, शेष प्रश्नों के लिए कृपया प्रश्न</td></tr>
</table>

	रिक्त पदों की संख्या तथा ऐसे पदों के रिक्त होने से कार्यकाल/विशिष्ट कैलेंडर वर्ष के संबंध में जानकारी दें।	सं. 1 का उत्तर देखें।
4.	कृपया वरिष्ठ न्यायिक सहायक के पद के लिए पदोन्नति की कतार में शामिल कर्मचारियों की संख्या तथा उनकी नियुक्ति का वर्ष बताएं।	डीडीसीई नियम, 2012 के अनुसार, ऐसे सभी न्यायिक सहायक, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा अवधि पूरी कर ली है, नियुक्ति वर्ष की परवाह किए बिना रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन एसजेए के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं।
5.	कृपया वर्ष 2001 से लेकर वर्तमान वर्ष तक न्यायिक सहायक के रिक्त पदों का वर्षवार ब्यौरा तथा ऐसे पद की नियुक्ति/पदोन्नति का वर्ष बताएं। कृपया वर्षवार विशिष्ट ब्यौरा दें।	चूंकि न्यायिक सहायकों के पद, न्यायिक (sic) पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2017 में पुनर्गठित किए गए थे, जेए के पद हेतु वर्षवार अनंतिम रिक्तियां निम्नानुसार हैं: (तालिका नीचे)

क्रम सं.	वर्ष	रिक्तियां
1	2017	51
2	2018	5+165*
3	2019	2
4	2020	27
5	2021	52

*वर्ष 2013 में स्वीकृत वर्ष 2018 में शामिल

इस प्रकार, उपरोक्त के आधार पर, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता संघ के पात्र सदस्य वर्ष 2013 से प्रभावी माने जाने वाले याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कम से कम वर्ष 2018 से काल्पनिक/भूतलक्षी पदोन्नति के हकदार होंगे, जब पदों को मूल रूप से मंजूर किया गया था।

23. उपर्युक्त तरीके से देखा जाए तो यह आग्रह किया जाता है कि याचिकाकर्ता संघ के पात्र सदस्य एसजेए के पदों के लिए डीसी परीक्षा में भाग लेने के हकदार होंगे।

<u>प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से तर्क</u>

24. प्रत्यर्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अवनीश अहलावत ने याचिकाकर्ता संघ द्वारा वर्तमान रिट याचिका दायर करने के अधिकार को चुनौती देते हुए अपनी दलीलें शुरू कीं, इस पहलू पर कि यह एक संघ द्वारा दायर की गई थी, जिसमें संघ के सदस्यों की सूची का खुलासा नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि शुरू में, याचिकाकर्ता संघ ने 26.11.2020 को वर्तमान याचिका दायर की, जिसमें उपर्युक्त हानिरहित प्रार्थनाओं की मांग करते हुए एक कल्याणकारी संघ होने का दावा किया गया, जिस पर पहले से ही विस्तृत जवाब दाखिल किया गया था, जिसमें रिक्त पदों को भरने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण

यानी 2016-17 के पदोन्नति अभियान को 14.09.2019 को अधिसूचित किया गया था।

25. इस संबंध में, सुश्री अहलावत ने प्रस्तुत किया कि 25.09.2021 को प्रत्यर्थी ने दिल्ली जिला न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2012 के अनुसार पदोन्नति की और इसलिए, उस स्तर पर, संघ द्वारा की गई प्रार्थना संतुष्ट हो गई।

26. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रारंभिक रिट याचिका के दायरे को बढ़ाने के प्रयास में, प्रत्यर्थी के कुछ कर्मचारियों की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें उनकी पदोन्नति को प्रभावी बनाने की तारीख के संबंध में व्यक्तिगत मुद्दों पर आंदोलन किया गया था। ऐसा आवेदन अपने आप में निम्नलिखित आधारों पर संधार्य नहीं है:-

(i) यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि आवेदन के माध्यम से कोई अंतरिम आदेश नहीं मांगा जा सकता है जो रिट याचिका में मांगी गई अंतिम राहत के दायरे से बाहर है। इस प्रकार, आज तक संघ के कथित सदस्यों ने वास्तव में 25.09.2021 के आदेश को स्वीकार कर लिया है क्योंकि इसे कभी चुनौती नहीं दी गई है।

(ii) जनहित मुकदमेबाजी के रूप में प्रस्तुत याचिका जो याचिकाकर्ता की अधिकारिता स्थापित नहीं करती है, विशेष रूप से ऐसे मामले जिनमें कर्मचारी की सेवा शामिल है, जिसमें व्यक्तिगत मामलों के तथ्यों की जांच की जानी है, वह संधार्य नहीं है, *दुर्योधन साहू बनाम जितेंद्र कुमार मिश्रा* (1998) 7 एससीसी 273 और *डॉ. डी पी सिंह बनाम भारत संघ* (2004) 3 एससीसी 363 पर भरोसा किया गया है।

27. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि तत्पश्चात, 28.11.2023 (20.12.2023) को जब प्रत्यर्थी ने सीमित विभागीय परीक्षा की अधिसूचना जारी की, तो एक अन्य आवेदन दायर कर परीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगाने या वैकल्पिक रूप से याचीगण को उक्त परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने की मांग की गई। उस समय भी न्यायालय ने याचिकाकर्ता संघ से सदस्यों की सूची मांगी थी, लेकिन वह आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।

28. सुश्री अहलावत ने प्रत्यर्थी सं. 1/संस्था के सहायक कर्मचारियों के सेवा इतिहास की पूरी पृष्ठभूमि के माध्यम से इस न्यायालय को यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता संघ ने सबसे पहले तथ्यों की गलत धारणा पर कार्यवाही की थी और इसलिए अभिलेख से प्रस्तुत समय-सीमा के आधार पर उन्हें पूरी तरह से नकार दिया जाता है। प्रत्यर्थी के दृष्टिकोण से उक्त समय-सीमा को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है:-

(i) दिल्ली जिला न्यायालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तें पंजाब उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 35(3) के अंतर्गत पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए पंजाब उच्च न्यायालय नियमों के अध्याय 18क खंड-I के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए सभी केंद्रीय सरकारी नियमों और आदेशों द्वारा शासित थीं। दिल्ली जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को भूतपूर्व नियमों के तहत पदोन्नत किया गया था।

(ii) कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवाओं में एलडीसी को पदोन्नति हेतु बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए, अपने दिनांक 16.10.1979 के ज्ञापन *के तहत* यूडीसी/एलडीसी के पदों को दिनांक 01.10.1979 से 40:60 के अनुपात में पुनर्गठित करने का आदेश दिया। हालांकि, चूंकि उक्त पुनर्गठन एलडीसी ग्रेड में स्थिरता को दूर नहीं कर सका, इसलिए उक्त अनुपात को दिनांक 20.03.1994 के कार्यालय ज्ञापन *के तहत* संशोधित कर दिनांक 01.04.1994 से 50:50 कर दिया गया।

(iii) *विल्स मैथ्यूज बनाम रा.रा.क्षे.दि.* नामक जनहित मुकदमेबाजी में जिला न्यायालयों के कुशल संचालन हेतु 1200 से अधिक पदों को

मंजूरी दी गई थी। जब भी न्यायिक अधिकारी का पद मंजूर होता है, सहायक कर्मचारियों के रूप में 8 पद भी मंजूर किए जाते हैं।

(iv) इस समय, *जगदीश राणा बनाम दिल्ली सरकार व अन्य* अर्थात रि.या.(सि) सं. 5868/1998 दायर की गई थी, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 22.03.2010 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी को निर्देश दिया था कि वह जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली, न्यायाधीश लघु वाद न्यायालय, दिल्ली और प्रशासनिक सिविल न्यायाधीश के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के दिनांक 01.10.1979 और 20.03.1994 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार एलडीसी के पद को यूडीसी में अपग्रेड करने/उन्नत करने को तत्काल मंजूरी दे, सिवाय उन कर्मचारियों के जिनके पदों को रि.या.(सि) सं. 907/1996 के आदेशों के तहत पहले ही अपग्रेड किया जा चुका है।

(v) विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 22.03.2010 के आदेश को ले.पे.अ. 394/2012 अर्थात *रा.रा.क्षे.दि. बनाम जगदीश राणा व अन्य* में चुनौती दी गई थी।

(vi) ग्रुप डी पद पर की गई नियुक्तियों को रि.या.(सि) सं. 6332/2011 अर्थात रेणु बनाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से चुनौती दी

गई थी, जिसका निर्णय दिनांक 30.08.2011 के आदेश द्वारा किया गया था। ले.पे.अ. सं. 726/2011 अर्थात *रेणु बनाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश* के तहत उक्त आदेश के विरुद्ध अपील की गई, जिसका निर्णय दिनांक 15.09.2011 के आदेश द्वारा किया गया था। खंड न्यायपीठ के आदेश के खिलाफ वि.अनु.या. (सि) सं. 26090/2011 पेश की गई थी, जिसका निर्णय दिनांक 10.05.2012 के आदेश के तहत किया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि हालांकि उच्च न्यायालय ने पहले ही भर्ती नियम अर्थात दिल्ली जिला न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2012 बना लिए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। अनुमति मांगी गई थी कि चूंकि ग्रुप डी कर्मचारियों की भारी कमी है, इसलिए अधिकारियों को 2012 के नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मौजूदा रिक्तियों को भरने की अनुमति दी जा सकती है। उक्त अनुमति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई थी।

(vii) इस बीच, इस न्यायालय ने दिल्ली जिला न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2012 तैयार किए और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। इसके बाद से सभी पदोन्नति और भर्ती 2012 के नियमों के अनुसार की गई।

(viii) *रा.रा.क्षे.दि. बनाम जगदीश राणा व अन्य* अर्थात ले.पे.अ. 394/2012 को दिनांक 26.04.2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। विद्वान खंड न्यायपीठ के दिनांक 26.04.2016 के आदेश को वि.अनु.या. (सि) 7233/2017 अर्थात *रा.रा.क्षे.दि. बनाम जगदीश राणा व अन्य* के माध्यम से चुनौती दी गई, जिसे दिनांक 27.02.2017 को खारिज कर दिया गया। अंतिम निर्णय प्राप्त होने के पश्चात *जगदीश राणा बनाम रा.रा.क्षे.दि.* में इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित कदम उठाए गए:

क. 60:40 का अनुपात 1979 से 1996 तक लागू किया गया था और उसके बाद 50:50 का अनुपात 1996 से 2016 तक लागू किया गया।

ख. कई डीपीसी आयोजित की गयी और जूनियर न्यायिक सहायक (जेजेए) के 868 पदों को निम्नलिखित तिथियों अर्थात 28.06.2017, 19.08.2017, 13.10.2017, 08.11.2017 को न्यायिक सहायक (जेए) के पद पर अपग्रेड किया गया।

ग. दिनांक 16.08.2017 को परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें सभी जिला न्यायालयों में 1421 कर्मचारियों को एलडीसी से

यूडीसी के पद पर सभी परिणामी लाभों के साथ पदोन्नत किया गया था।

घ. दिनांक 23.08.2021 और 08.09.2021 की बैठक के कार्यवृत्त में 316 अधिकारियों को पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया गया था।

ङ. 178 अधिकारियों को नियमित पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया गया और बीस (20) अधिकारियों को दिनांक 17.02.2023 और 24.03.2023 की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार 'पूर्णतः स्थानापन्न आधार पर' पदोन्नत किया गया, जिसमें उल्लिखित कारण शामिल हैं। इस प्रकार, कुल 494 जेजेए को नियमित रिक्ति के विरुद्ध बैठक के कार्यवृत्त के तहत जेए में पदोन्नत किया गया और 20 अधिकारियों को 'पूर्णतः स्थानापन्न आधार पर' पदोन्नत किया गया। दिनांक 17.02.2023 और 24.03.2023 की बैठक के कार्यवृत्त में यह भी स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिकारी (20) स्थानापन्न पदोन्नति के विरुद्ध किसी भी नियमित पदोन्नति का दावा करने के हकदार नहीं होंगे। दिनांक 19.07.2021 की बैठक के कार्यवृत्त में अनुशंसित उक्त अधिकारियों के लिए पदोन्नति हेतु मानक को तत्कालीन विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किया गया था। मानक के अनुसार,

यह संकल्प लिया गया कि *स्वामी के स्थापना एवं प्रशासनिक* नियम 6.4.4 के अनुसार, पदोन्नति की प्रभावी तिथि भावी होगी। उक्त मानक को किसी भी समय चुनौती नहीं दी गई।

29. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि पृष्ठभूमि में, याचिकाओं की श्रृंखला कुछ अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी जो जिला न्यायालयों के पूर्व कर्मचारी थे। उस समय, उनके समकक्ष जो अभी भी जिला न्यायालयों में काम कर रहे थे, उन्हें उन्नयन का लाभ दिया गया था, परन्तु जो जिला न्यायालयों के संख्याबल का हिस्सा नहीं थी।

30. प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता 25.09.2021 को सही ढंग से दी गई पदोन्नति के विरुद्ध भूतलक्षी पदोन्नति की मांग कर रहे हैं, इस आधार पर कि 2018 से पहले रिक्त पद की अधिसूचना करते समय वरिष्ठ न्यायिक सहायक, न्यायिक सहायक और कनिष्ठ न्यायिक सहायक के 165 पदों को ध्यान में नहीं रखा गया था। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता का यह मामला है कि इस प्रकार अधिसूचित रिक्त पद गलत था। इस तरह के दावे को अस्वीकार किया जाता है क्योंकि दावा मामले के तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है। वह आगे कहती हैं कि सही तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है।

31. यद्यपि, 29.01.2013 के आदेश के माध्यम से डीएचजेएस के 50 पद तथा डीजेएस के 100 पद सृजित किए गए थे, तथा न्यायिक अधिकारियों के उक्त पदों के साथ-साथ सहायक स्टाफ के 165 पद रीडर, 220 स्टेनोग्राफर, 165 वरिष्ठ न्यायिक सहायक, 165 न्यायिक सहायक, 165 कनिष्ठ सहायक तथा 220 चपरासी के पद भी सृजित किए गए थे। हालांकि, ये पद रिक्त पद नहीं थे, क्योंकि इनके साथ यह शर्त भी थी कि सहायक पद केवल न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होने पर ही भरे जाएंगे।

32. इस संबंध में, सुश्री अहलावत ने रिक्तियों की स्थिति और इसकी स्थिति के संख्यात्मक आंकड़े प्रदान करते हुए, डीजेएस और डीएचजेएस के पदों के संबंध में मौजूदा भर्ती अभियान पर अलग-अलग जानकारी देते हुए कहा कि हालांकि रिक्तियों को वर्ष 2013 में पहले से ही स्वीकृत कहा जा सकता है, लेकिन उन्हें वर्ष 2018 में शामिल किया गया था। इसके साथ ही, अभिलेख के अनुसार, डीजेएस से डीएचजेएस में पदोन्नति के कारण 2013-2018 की अवधि के दौरान डीजेएस के 99 पद रिक्त हो गए। डीजेएस से डीएचजेएस में पदोन्नति 2013 (49), 2015 (03), 2016 (10) और 2017 (37) में की गई थी। इन पदों के लिए सहायक कर्मचारी पहले से ही उपलब्ध थे।

33. अपने उपर्युक्त कथनों को पुष्ट करते हुए, प्रत्यर्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अहलावत ने रिक्तियों से संबंधित संपृक्त आंकड़ों को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया:-

(i) न्यायिक अधिकारियों की कुल 144 रिक्तियां (डीएचजेएस में 45 और डीजेएस में 99) 2013-2018 की अवधि के दौरान अधिकारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति या पदोन्नति के कारण पहले से स्वीकृत पदों/संख्या में से उत्पन्न हुईं।

(ii) 2014 की परीक्षा सूचना से पता चलता है कि विज्ञापित 80 पदों में से 15 बैकलॉग रिक्तियां थीं।

(iii) 2015 की परीक्षा सूचना से पता चलता है कि विज्ञापित सभी 100 पद वास्तव में बैकलॉग रिक्तियां थीं।

(iv) याचिकाकर्ता द्वारा दायर आरटीआई के जवाब में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.10.2017 को जारी उत्तर से स्पष्ट संकेत मिलता है कि वर्ष 2017 तक, दिनांक 29.01.2013 के आदेश द्वारा मंजूर पदों में से डीजेएस का एक भी पद नहीं भरा गया है।

34. चूंकि 2013 में स्वीकृत सहायक पदों को भरने के संबंध में बार-बार अभ्यावेदन और याचिकाएं प्राप्त हो रही थीं, इसलिए दिल्ली सरकार से

स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या न्यायिक अधिकारियों के पद से जुड़े सहायक पदों को भरा जा सकता है, हालांकि न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति आज तक नहीं की गई है। दिल्ली सरकार ने कहा कि यह एक प्रशासनिक मुद्दा है और इसलिए इसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय पर छोड़ दिया गया है।

35. उन्होंने कहा कि दस्तावेजों से प्राप्त उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, कथित प्रशासनिक देरी और लापरवाही के आधार पर भूतलक्षी पदोन्नति का कोई मामला नहीं बनता है। न तो कोई देरी हुई है और न ही जानबूझकर कोई चूक हुई है और इस तरह याचिकाकर्ता संघ के सदस्य न तो काल्पनिक या भूतलक्षी पदोन्नति के हकदार हैं और न ही डीसी परीक्षा में भाग लेने के पात्र हैं।

36. सुश्री अहलावत ने कहा कि अब जो डीसी परीक्षा होने जा रही है, वह केवल मेरिट के आधार पर चयन द्वारा एसजेए के 50% पदों के लिए है, फिर भी वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा एसजेए के 50% पद बच रहे हैं। इस प्रकार, उन्होंने कहा कि यदि याचिकाकर्ता संघ के सदस्य यहां अयोग्य हैं, तो भी पदोन्नति के माध्यम से 50% पद अभी भी उपलब्ध होंगे, जो पात्रता के अधीन है। इस प्रकार, परीक्षा में भाग लेने पर जोर देना निराधार है।

<u>प्रत्युत्तर के तर्क</u>

37. बहस के दौरान सुश्री अहलावत द्वारा सौंपे गए दस्तावेज़ से, श्री अनेजा ने प्रस्तुत किया कि 2012 के नियमों के प्रावधानों को लागू करने में जानबूझकर देरी को स्थापित करने के लिए एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है। इसमें, दिनांक 09.09.2014 के पत्र के माध्यम से, इस न्यायालय के महा निबंधक ने पहले ही प्रत्यर्थी सं. 1 को न्यायिक अधिकारियों के पदों से संबंधित सहायक पद को भरने के संबंध में दिल्ली के जीएनसीटी के साथ सीधे पत्राचार करने के लिए सूचित किया था। हालांकि, ऐसे स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, प्रत्यर्थी सं. 1 ने जानबूझकर और लापरवाही से 2018 तक महा निबंधक के साथ पत्राचार जारी रखा। ये चार साल याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उन्हें सहायक पद के लिए रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किया जा सकता था। प्रत्यर्थीगण द्वारा इनकार किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता संघ के सदस्य जानबूझकर प्रशासनिक देरी और चूक के आधार पर काल्पनिक या भूतलक्षी पदोन्नति के लिए स्वतः ही हकदार हो जाएंगे।

38. उपर्युक्त आधार पर, श्री अनेजा ने आगे आग्रह किया कि *सप्रेसियो वेरी सुझावियो फाल्सी* के सिद्धांत पर, प्रत्यर्थी सं. 1 को अपने स्वयं के गलत का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार, यह न्यायालय प्रत्यर्थी सं. 1 को याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को कम से कम वर्ष 2018 से कल्पित पदोन्नति देने का निर्देश दे सकता है।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

39. इस न्यायालय ने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं, अभिलेख पर मौजूद विशाल दस्तावेजों की जांच की है और पक्षकारगण द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों पर विचार किया है।

40. चूंकि मूल रिट याचिका और उसके बाद के आवेदन में विवाद मुख्य रूप से इस मुद्दे पर आधारित होगा कि क्या याचिकाकर्ता संघ के सदस्य रिक्तियों के उत्पन्न होने की तारीख से भूतलक्षी/कल्पित पदोन्नति के हकदार होंगे, वही कानून का मुद्दा होने के कारण, इसे पहली बार में लिया जा रहा है। ऊपर तैयार किया गया प्रश्न (क) इस प्रकार है:

> ***"क. क्या याचिकाकर्ता संघ के सदस्य जिन्हें दिनांक 24.09.2021 और 25.09.2021 के आदेशों के माध्यम से एसजेए और जेए के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया गया था, उन्हें ऐसी रिक्तियां उत्पन्न होने की तिथि से भूतलक्षी पदोन्नति या कल्पित पदोन्नति मांगने का कोई अधिकार है?"***

41. पक्षकारगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपने-अपने तर्कों के समर्थन में कई निर्णय अभिलेख पर रखे थे। इसमें याचिकाकर्ता संघ के विद्वान अधिवक्ता श्री अनेजा के अनुसार, देरी, चूक और प्रशासनिक चूक के कारण प्रत्येक वर्ष डी.पी.सी. आयोजित नहीं की जाती है, जिसके कारण याचिकाकर्ता

संघ के सदस्यों को प्रत्येक वर्ष रिक्तियों के उत्पन्न होने की तिथि से सुविचारित किए जाने से वंचित होना पड़ता है, यह याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों हेतु लाभकारी होगा और वर्ष 2013 में रिक्तियां उत्पन्न होने के कारण याचिकाकर्ता संघ के सदस्य 2013 से पदोन्नति पद के लिए विचार किए जाने के हकदार होंगे, जब भी ऐसे सदस्य पात्र होंगे।

42. श्री अनेजा के उपरोक्त तर्कों के विपरीत, प्रत्यर्थी सं.1 की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अहलावत ने अपने तर्क के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों को अभिलेख पर रखा कि कोई भी कर्मचारी रिक्तियां उत्पन्न होने की तिथि से या कर्मचारी के पात्र होने की तिथि से भूतलक्षी/कल्पित पदोन्नति का हकदार नहीं है, जब तक कि नियमों और विनियमों के अनुसार डीपीसी आयोजित न की जाए और उन कर्मचारियों में से जो चयनित हों, उन्हें पदोन्नत न किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अतिरिक्त, ऐसी रिक्तियां उत्पन्न होने की तिथि से भूतलक्षी पदोन्नति का प्रश्न नहीं हो सकता है, जब तक कि भर्ती नियमों में ऐसा प्रावधान न हो।

43. ये उपरोक्त तर्क ही हैं जिन्होंने इस न्यायालय को वर्तमान मामले के तथ्यों पर इसे लागू करने से पहले कानून के इस मुद्दे पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है।

44. कानून पर अपने उपरोक्त मुद्दे के समर्थन में, श्री अनेजा निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करते हैं:-

क. ***पिल्ला सीताराम पात्रुडू व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य,* (1996) 8 एस.सी.सी. 637** में प्रकाशित किया गया।

ख. ***भारत संघ बनाम के. बी. राजोरिया,* (2000) 3 एस.सी.सी. 562** में प्रकाशित किया गया।

ग. ***रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य बनाम राकेश बेनीवाल व अन्य* 2014 एस.सी.सी. ऑनलाइन डेल 3944** में प्रकाशित किया गया।

घ. ***अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय*** में रि.या. (सि) सं. 4077-84/2004 दिनांक 23.10.2009 को निर्णीत किया गया जिसे **एमएएनयू/डीई/2723/2009** में प्रकाशित किया गया।

ङ. ***केरल राज्य व अन्य बनाम ई. के. भास्करन,* (2007) 6 एस.सी.सी.524** में प्रकाशित किया गया।

च. ***आयुक्त, कर्नाटक आवास बोर्ड बनाम सी. मुद्दैया,* (2007) 7 एस.सी.सी. 689** में प्रकाशित किया गया।

छ. ***भारत संघ बनाम के.वी. जानकी रमन,*** **ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 2010** में प्रकाशित किया गया।

ज. ***आंध्र प्रदेश राज्य बनाम के.वी.एल. नरसिम्हा राव व अन्य,*** **ए.आई.आर. 1999 एससी 2255** में प्रकाशित किया गया।

झ. ***बलवंत सिंह बिष्ट बनाम भारत संघ व अन्य***, रि.या. (सि) सं. 23332/2005 का दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2008 को निर्णय किया गया।

ञ. ***मुख्य सचिव व अन्य बनाम कुलदीप सिंह व अन्य*** रि.या. (सि) सं. 8910/2009 में प्रकाशित किया गया, जिसका निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.11.2011 को किया।

ट. ***मोहम्मद अहमद बनाम निजाम शुगर फैक्ट्री व अन्य,*** **2004 (11) एससीसी 210** में प्रकाशित किया गया।

ठ. ***नलिनी कांत सिन्हा बनाम बिहार राज्य व अन्य*** **1993 पूरक (4) एस. सी. सी. 748** में प्रकाशित किया गया।

ड. ***कल्याण सिंह बनाम भारत संघ व अन्य,*** **2001 (1) ए. आई. एस. एल. जे. (डी. एच. सी.) 216** में प्रकाशित किया गया।

ढ. ***कुशेश्वर प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य व अन्य,* (2007) 11 एससीसी 447** प्रकाशित किया गया।

ण. ***मृत्युंजय पाणी व अन्य बनाम नर्मदा बाला सस्मल व अन्य,* (1962) 1 एस. सी. आर. 290** में प्रकाशित किया गया।

त. ***भारत संघ व अन्य बनाम जनरल मदन लाल यादव,*** (**1996) 3 एस. सी. आर. 785** में प्रकाशित किया गया।

थ. ***बैजनाथ शर्मा बनाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर,* 1998 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 1754** में प्रकाशित किया गया, और;

द. ***रमेश कुमार बनाम भारत संघ व अन्य,*** दिनांक 31.07.2015 निर्णीत सिविल अपील सं. 811/2007, **एमएएनयू/एससी/0817/2015** में प्रकाशित किया गया।

45. जहां तक ***पिल्ला सीताराम पात्रुडू*** *(पूर्वोक्त)* के मामले का संबंध है, उस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने तथ्य के रूप में पाया था कि यद्यपि मूल पद में परस्पर सह ज्येष्ठता अभी भी निर्धारित नहीं हुई थी, फिर भी निजी प्रत्यर्थी को नियमों के अनुसार योग्य पाया गया था और इस तरह अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। उक्त निर्णय का उद्धरण नीचे दिया गया है:-

"1. विलंब हेतु माफ किया गया।

2. 5वें प्रत्यर्थी के.आर. रामानंदन को वर्ष 1977 में सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चुना गया था। प्रत्यर्थी को छोड़कर सभी सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की नियुक्ति वर्ष 1978 में हुई थी। यह स्वीकार किया गया कि जब उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, एर्नाकुलम न्यायपीठ में मूल याचिका सं. 7226/1985 दाखिल किया था, तो दिनांक 31-1-1990 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि रेलवे प्रशासन की ओर से लापरवाही के कारण उनकी नियुक्ति में चूक हुई थी। वर्ष 1981 में उनकी नियुक्ति के बाद, दो साल के भीतर उन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। जब कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नति के लिए उनके मामले पर विचार नहीं किया गया, तो उन्होंने मू.अ. दाखिल किया। अधिकरण ने सहायक अधिशासी अभियंताओं के काडर में परस्पर सह ज्येष्ठता तय किए बिना रेलवे प्रशासन को निर्देश दिया था कि वह वर्ष 1984, 1985 और 1986 के लिए अधिशासी अभियंता के रूप में पदोन्नति के लिए उनके मामले पर विचार करे और यदि किसी भी पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे उस वर्ष के लिए पदोन्नति दे और तदनुसार अधिशासी अभियंताओं के बीच वरिष्ठता तय करे। इसके अनुसरण में, प्रत्यर्थी पर विचार किया गया और उसे अधिशासी अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया। उपर्युक्त आदेश आने के बाद, रेलवे प्रशासन ने इस मामले को इस न्यायालय में अपील में नहीं लाया। निर्देश के विरुद्ध प्रतीत होने वाले कुछ व्यक्तियों ने निश्चित रूप से एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया और वह आदेश अंतिम हो गया। इसके बाद याचीगण ने अलग-अलग ओए दाखिल करके उसी आदेश को चुनौती दी और अधिकरण के दिनांक 19-10-1995 के आक्षेपित आदेश में अधिकरण ने अपने पहले के आदेश की पुष्टि की। इस प्रकार यह विशेष अनुमति याचिका है।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि चूंकि आदेश में सहायक अभियंता के रूप में परस्पर सह ज्येष्ठता को अनिर्णीत छोड़ दिया गया था, इसलिए अधिकरण द्वारा कार्यकारी अभियंता के रूप में मामले पर विचार करने और पदोन्नति के आधार पर उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने के निर्देश कानून में वैध नहीं हैं। हमें इस तर्क में कोई बल नहीं मिला। एक बार जब वह नियमों के अनुसार योग्य पाया जाता है, तो उसकी वरिष्ठता प्रचलित नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। यह भी तर्क दिया गया है कि पांचवां प्रत्यर्थी योग्य नहीं था क्योंकि उसने 8 वर्ष की अपेक्षित सेवा पूरी नहीं की थी। अधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि आरक्षित अभ्यर्थियों के मामले में दो साल की अवधि में छूट दी जा सकती है। सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में परस्पर सह ज्येष्ठता निर्धारित की जानी आवश्यक है; वह 1981 में सेवा में शामिल हुआ था और इसलिए, उसके पास अपेक्षित सेवा नहीं थी। हमें इस तर्क में कोई बल नहीं मिला। चूंकि वह सीधी भर्ती द्वारा चुना गया था, इसलिए वह नियम के अनुसार नियुक्त होने का हकदार है। उनकी नियुक्ति में देरी हुई, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी और उनकी नियुक्ति 1981 में हुई, इसलिए वे चयन सूची में दी गई रैंकिंग के हकदार हैं और उनकी नियुक्ति उसी के अनुसार की गई। इन परिस्थितियों में, हमें आदेश में कोई अवैधता नहीं दिखती।

4. विशेष अनुमति याचिका तदनुसार खारिज की जाती है।"

उक्त निर्णय सीधी भर्ती के संबंध में है। वर्तमान मामला निस्संदेह पदोन्नति के संबंध में है। इसके अलावा, इसमें शामिल तथ्यों का विवरण अधूरा होने के कारण, यह न्यायालय मामले के संदर्भ में उनका मूल्यांकन करने में असमर्थ है।

46. ***के.बी. राजोरिया*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में, प्रत्यर्थी के.बी. राजोरिया को गलत तरीके से एक कनिष्ठ द्वारा पदोन्नत पद पर स्थानांतरित किया गया था और अगले पदोन्नत पद के लिए दो वर्ष की पात्रता की आवश्यकता एक वर्ष कम पड़ रही थी। इन परिस्थितियों में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि जहां वरिष्ठ को गलत तरीके से कनिष्ठ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, वहां पूर्ववर्ती वरिष्ठ उस तिथि से भूतलक्षी पदोन्नति का हकदार होगा, जिस तिथि को कनिष्ठ को पदोन्नत किया गया था। यह भी माना गया कि भले ही राजोरिया ने उस पद पर सेवा नहीं की हो, मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पदोन्नति की काल्पनिक अवधि को अगले पदोन्नत पद के लिए "योग्य सेवा" के रूप में माना जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है, और न ही कोई तर्क दिया गया है, कि याचिकाकर्ता संघ के किसी भी सदस्य को उनके कनिष्ठों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इस प्रकार, यह अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

47. ***राकेश बेनीवाल का मामला*** *(पूर्वोक्त)* ***के.बी. राजोरिया*** *(पूर्वोक्त)* के मामले जैसा ही है। इसमें राकेश बेनीवाल और अन्य द्वारा 2002 में डीएसएसएसबी परीक्षा देने के बाद भी उन्हें 12 साल बाद भी पदोन्नति नहीं दी गई। इस अवधि के दौरान, प्रत्यर्थी, जो कनिष्ठ थे, को 07.02.2011 को पदोन्नत किया गया था। इन परिस्थितियों में इस न्यायालय की विद्वान खंड न्यायपीठ ने माना था कि

रा.रा.क्षे.दि. को राकेश बेनीवाल और अन्य को उनके तत्काल कनिष्ठों को पदोन्नत किए जाने की तिथि से पदोन्नति के लिए विचार करना था, उन्हें परिणामी लाभ और वेतन का बकाया प्रदान करना था। यह फिर से वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

48. जहां तक ***अतुल कुमार शर्मा*** *(पूर्वोक्त)* के निर्णय का संबंध है, इस न्यायालय की विद्वान खंड न्यायपीठ को ऐसी स्थिति पर निर्णय लेने के लिए आमंत्रित गया था, जहां प्राधिकरण ने पांच अलग-अलग समय पर नियमों का पालन नहीं किया; कम से कम उनमें से दो मामलों में, एसजेए काडर में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित न करने का वास्तव में कोई बहाना नहीं था। उस मामले में, याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक आदेश प्राप्त करने में सफल रहे और पूरक परीक्षा आयोजित करने के बावजूद उनका साक्षात्कार नहीं लिया गया। विद्वान खंड न्यायपीठ ने अपने आपको उनके *"खोए अवसर"* को वापस करने के लिए बाध्य पाया क्योंकि बाद में पदोन्नति अंततः उन कर्मचारियों के मुकाबले उनके लिए नुकसानदेह होगी जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया था और समय पर पदोन्नत हुए थे। वर्तमान मामले में, ऐसा कोई भी समान तथ्य उत्पन्न नहीं हुआ है और न ही याचिकाकर्ता संघ के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई तर्क दिया गया है। वास्तव में, वर्तमान मामले में, तय किया जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि

क्या दी गई पदोन्नतियाँ रिक्ति से उत्पन्न होने की तारीख से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगी।

49. जहाँ तक ***ई.के. भास्करन, सी. मुदैया, के. वी. जानकी रमन, के. वी. एल. नरसिम्हा राव, बलवंत सिंह बिष्ट, कुलदिप सिंह, निजाम शुगर फैक्ट्री नलिनी कांत सिन्हा, कल्याण सिंह, कुशेश्वर प्रसाद सिंह, मृत्युंजय पाणी, जनरल मदन लाल यादव, बैज नाथ शर्मा, रमेश कुमार*** *(पूर्वोक्त)* ***के निर्णयों का संबंध है,*** उक्त अनुपात *"काम नहीं तो वेतन नहीं"* के सिद्धांत से छूट के प्रस्ताव हेतु निर्धारित किए गए हैं। उपर्युक्त निर्णयों द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि *"काम नहीं तो वेतन नहीं"* का सिद्धांत एक सार्वभौमिक नियम नहीं है और इसलिए, किसी विशेष मामले में उत्पन्न तथ्यों पर विचार किए बिना इसे सभी पर लागू नहीं किया जा सकता है। यह अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा। उपरोक्त निर्णयों द्वारा निर्धारित प्रस्ताव से कोई विवाद नहीं है। हालांकि, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, वर्तमान मामले में उन निर्णयों का प्रभाव केवल इस न्यायालय के इस निष्कर्ष के परिणामस्वरूप या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होगा कि याचिकाकर्ता संघ के सदस्य वास्तव में रिक्तियों के उत्पन्न होने की तिथि से भूतलक्षी पदोन्नति के हकदार हैं, जो याचिकाकर्ता के अनुसार दिनांक 29.01.2013 है। यही वह दिन था जब दिल्ली के जीएनसीटी द्वारा जिला न्यायालय के विभिन्न न्यायिक

अधिकारियों के 150 पदों को मंजूरी दी गई थी। वर्तमान मामले में उत्पन्न तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, उपरोक्त निर्णयों की प्रयोज्यता या अन्यथा पर प्रश्न (क) के सकारात्मक रूप से निर्णीत होने पश्चात विचार किया जाएगा।

50. प्रत्यर्थी सं. 1 की अधिवक्ता सुश्री अहलावत ने प्रश्न **(क)** के संबंध में अपनी दलीलों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:-

क. ***भारत संघ व अन्य बनाम एन.सी. मुरली और अन्य,*** **(2017) 13 एससीसी 575** में प्रकाशित किया गया।

ख. ***भारत संघ व अन्य बनाम मनप्रीत सिंह पूनम व अन्य,*** **(2022) 6 एस. सी. सी. 105** में प्रकाशित किया गया।

ग. ***हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य बनाम राज कुमार व अन्य,*** **(2023) 3 एस. सी. सी. 773** में प्रकाशित किया गया।

51. ***एन.सी. मुरली*** *(पूर्वोक्त)* के निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त मामले में प्राप्त तथ्यों की जांच करने के पश्चात, ***भारत संघ बनाम के.के. वाडेरा,*** **1989 पूरक (2) एस.सी.सी. 625** में प्रकाशित मामले में अपने स्वयं के निर्णय का अनुसरण करते हुए तथा उस पर भरोसा करते हुए, अभिनिर्धारित किया कि सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया के मामले में या जहां *"वैधानिक नियम किसी विशेष समय या रिक्ति होने पर पदोन्नति को प्रभावी करने का आदेश देता है"* वहां

वित्तीय लाभ के बिना भूतलक्षी पदोन्नति अनुमेय हो सकती है। यह भी माना गया कि जब तक कोई विशिष्ट नियम न हो, जो आवेदकों को रिक्ति होने की तिथि से पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकार देता हो, पदोन्नति का अधिकार रिक्ति होने की तिथि से स्पष्ट नहीं होता है और इसे वास्तविक रूप से प्रभावी होने की तिथि से बढ़ाया जाना चाहिए। यद्यपि उक्त मामले में, जब तक मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, तब तक उसमें से कई प्रत्यर्थी सेवानिवृत्त हो चुके थे, इसलिए इस तरह के विचार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया।

52. ***मनप्रीत सिंह पूनम*** *(पूर्वोक्त)* में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि भूतलक्षी पदोन्नति का अधिकार निहित अधिकार नहीं है। इसने अभिनिर्धारित किया कि मात्र रिक्ति का अस्तित्व ही किसी कर्मचारी के पक्ष में भूतलक्षी पदोन्नति का अधिकार नहीं बनाता है, जब पदोन्नति पदों में रिक्तियां नियमों के तहत विशेष रूप से निर्धारित की जाती हैं, जो चयन प्रक्रिया के माध्यम से मंजूरी भी अनिवार्य करती हैं। अपना निर्णय पारित करते समय, सर्वोच्च न्यायालय ने ***के.के. वाडेरा*** *(पूर्वोक्त)* में अपने निर्णय का पालन किया था।

53. सर्वोच्च न्यायालय की विद्वान तीन खंड न्यायपीठ ने हाल ही में ***हिमाचल प्रदेश राज्य*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में, ***वाई.वी. रंगैया बनाम जे. श्रीनिवास राव,***

(1983) 3 एससीसी 284 में प्रकाशित निर्णय को खारिज करते हुए, ***रंगैया मामले*** *(पूर्वोक्त)* में निर्धारित अनुपात को स्पष्ट रूप से अलग करते हुए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए, जो इस प्रकार हैं: -

> *"82. रंगैया मामले को अलग करने वाले पंद्रह मामलों की समीक्षा से यह पता चलता है कि यह न्यायालय रंगैया मामले में तैयार किए गए व्यापक प्रस्ताव के लिए लगातार अपवादों को काटता रहा है। इन निर्णयों में निष्कर्ष, जो रंगैया मामले द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर सीधे प्रभाव डालते हैं, निम्नानुसार हैं:*
>
> *82.1. ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि रिक्तियों को अनिवार्य रूप से उस कानून के आधार पर भरा जाना चाहिए जो उस तिथि को विद्यमान था जब वे उत्पन्न हुई थीं, रंगैया मामले को उसमें शामिल नियमों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।*
>
> *82.2. अब यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि किसी अभ्यर्थी को मौजूदा नियमों को देखते हुए विचार किए जाने का अधिकार है, जिसका अर्थ है "लागू नियम" जिस तिथि को विचार किया जाता है। योग्य अभ्यर्थियों पर विचार किए जाने की तिथि पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार होता है।*
>
> *82.3. सरकार नियमों में संशोधन से पहले उत्पन्न रिक्तियों को न भरने के लिए सचेत नीतिगत निर्णय लेने की हकदार है। कर्मचारी को सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को ध्यान*

में रखते हुए निरसित नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यदि इकाई के कुशल संचालन के लिए काडर का पुनर्गठन किया जाता है, तो सरकार के लिए पुराने नियमों के अनुसार नियुक्तियां करने की कोई बाध्यता नहीं है। केवल आवश्यकता यह है कि सरकार के नीतिगत निर्णय निष्पक्ष और उचित होने चाहिए तथा अनुच्छेद 14 की कसौटी पर उचित होने चाहिए।

82.4. रंगैया मामले में दिए गए सिद्धांत को केवल इसलिए लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पद सृजित किए गए थे, चूंकि नियुक्ति प्राधिकारी के लिए पदों को तत्काल भरना अनिवार्य नहीं है।

82.5. जब राज्य पर संशोधन से पहले मौजूद रिक्तियों पर नियुक्तियों पर विचार करने का कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं है, तो राज्य को मामलों पर विचार करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।

83. रंगैया मामले को प्रतिष्ठित करने वाले पंद्रह निर्णयों में की गई उपर्युक्त टिप्पणियां दर्शाती हैं कि उनमें प्रतिपादित व्यापक सिद्धांत को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है। रंगैया को अलग करने वाले लगभग सभी निर्णयों में यह माना गया है कि इस आशय का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि रिक्तियों को अनिवार्य रूप से उस तिथि को विद्यमान कानून के आधार पर भरा जाना चाहिए, जिस तिथि को वे उत्पन्न हुई थीं। इसका

तात्पर्य केवल यह है कि रंगैया में लिया गया निर्णय उस मामले के तथ्यों तक ही सीमित है।"

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विशेषत: वर्तमान मामले में प्राप्त तथ्यों हेतु, ***वाई.वी. रंगैया के मामले*** का सिद्धांत अपनी प्रयोज्यता खो चुका है। ***हिमाचल प्रदेश राज्य*** *(पूर्वोक्त)* का मामला मुख्य रूप से इस बात से संबंधित था कि कौन से नियम लागू होंगे, अर्थात् वे नियम जो उस तिथि को लागू थे जब रिक्ति उत्पन्न हुई थी या वे नियम जो उस समय लागू थे जब रिक्ति को भरने की मांग की गई थी। वर्तमान मामले में नियमों के संबंध में कोई विवाद नहीं है क्योंकि केवल 2012 के नियम ही लागू हैं। चूंकि ये नियम पदोन्नति के लिए किसी भूतलक्षी प्रभाव की कल्पना या परिकल्पना नहीं करते हैं, इसलिए उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए यह मुद्दा अब अनिर्णीत विषय नहीं रह जाएगा।

54. इसी तरह के संदर्भ में, ***उत्तरांचल राज्य और अन्य बनाम दिनेश कुमार शर्मा,*** **(2007) 1 एससीसी 683** में प्रकाशित मामले सर्वोच्च न्यायालय ने, हालांकि सीधी भर्ती के संदर्भ में, निर्णयों की पंक्ति का अनुसरण करते हुए, स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया था कि मूल नियुक्ति की तारीख को रिक्ति की तिथि से नहीं माना जा सकता है और नियमों में प्रासंगिक प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसने आगे कहा कि प्रत्यर्थी को उस तिथि से पदोन्नति और वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है जब रिक्ति उत्पन्न हुई।

निर्णयों की पंक्ति में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुसंगत रुख अपनाया है, कि किसी भी पदोन्नति को भूतलक्षी प्रभाव तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि उक्त पदोन्नति पदों के लिए भर्ती नियमों में मूल नियम या प्रावधान न हों।

55. जहां तक श्री अनेजा द्वारा ***विनोद कुमार संगल बनाम भारत संघ,*** **(1995) 4 एससीसी 246** में प्रकाशित, ***पी.एन. प्रेमचंद्रन बनाम केरल राज्य*** **(2004) 1 एससीसी 245** में प्रकाशित और ***भारत संघ और अन्य बनाम एन.आर. बनर्जी और अन्य*** **(1997) 9 एससीसी 287** में प्रकाशित किये गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का संबंध है, इन निर्णयों ने विभागों को सामान्य दिशानिर्देश दिए कि कैसे कार्य करना है जब विभागीय पदोन्नति समिति अर्थात डीपीसी को आयोजित करने में देरी होती है, जो विचार के क्षेत्र में योग्य अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करने के लिए हर साल नियमित रूप से गठित नहीं होती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने ***पी.एन. प्रेमचंद्रन*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में भूतलक्षी पदोन्नति को बरकरार रखा गया था, हालांकि, इसे केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 के नियम 39 के आधार पर प्रदत्त अवशिष्ट शक्तियों के आधार पर निर्देशित किया गया था। वर्तमान मामले में, न तो ऐसा कोई नियम है और न ही याचिकाकर्ता संघ के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया है, इसलिए ***पी.एन. प्रेमचंद्रन*** *(पूर्वोक्त)* में निर्धारित अनुपात को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं माना जा सकता है।

56. जहां तक ***विनोद कुमार संगल*** *(पूर्वोक्त)* के मामले का सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि याचिकाकर्ता भूतलक्षी पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं और विभाग को इस उद्देश्य के लिए समीक्षा डीपीसी आयोजित करने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के निर्देश के पीछे का कारण भारत सरकार के दिनांक 24.12.1980 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन का आधार था, जिसके अनुसार प्राधिकरण पर डीपीसी का वर्षवार पैनल तैयार करने का दायित्व था, जहां किसी वर्ष डीपीसी की ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की जाती है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रमाण पत्र जारी करना था कि उस वर्ष के दौरान कोई रिक्ति नहीं भरी जानी थी। यदि नियंत्रण से परे कारणों से किसी वर्ष में डीपीसी आयोजित नहीं हो पाती, भले ही उस वर्ष में रिक्तियां उत्पन्न हो गई हो, तो उसके बाद होने वाली पहली डीपीसी के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करने का प्रावधान किया गया था। यदि नियंत्रण से परे कारणों से किसी वर्ष में डीपीसी नहीं हो पाती, भले ही उस वर्ष में रिक्तियां उत्पन्न हो गई हों, तो उसके बाद होने वाली पहली डीपीसी के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करने का प्रावधान किया गया था। इसमें प्रत्येक वर्ष केवल उन अधिकारियों के लिए विचार करना शामिल होगा जो उस विशेष वर्ष की रिक्तियों के संदर्भ में पसंद के क्षेत्र में होंगे और फिर डीपीसी आयोजित करने और उस विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार

चयन करने की कार्यवाही की जाएगी। 2012 के नियमों में नियुक्ति प्राधिकारी पर इस तरह के किसी भी आदेश की अनुपस्थिति स्पष्ट है। इस तरह के अधिदेश के अभाव में, केवल इसलिए कि जिला न्यायाधीश (नियुक्ति प्राधिकारी) किसी विशेष वर्ष में रिक्तियों का आकलन करने, उक्त रिक्तियों को अधिसूचित करने, सूची अग्रेषित करने, चयन समिति गठित करने में विफल रहे, तो इसे जिला न्यायाधीश पर अधिदेश के रूप में नहीं समझा जा सकता है, जैसा कि ***विनोद कुमार संगल*** *(पूर्वोक्त)* में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझा गया है।

57. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ***विनोद कुमार संगल, पी. एन. प्रेमचंद्रन*** और ***एन. आर. बनर्जी*** *(पूर्वोक्त)* में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में अनुपात तथ्य और नियम की स्थिति दोनों के आधार पर अलग-अलग हैं।

58. उपरोक्त के अतिरिक्त, इस न्यायालय ने ***यूओआई बनाम केएल तनेजा, 2013 एससीसी ऑनलाइन डेल 1428*** में प्रकाशित किये गये दिनांक 12.04.2013 के रि.या.(सि) 8102/2012 मामले में इस न्यायालय के विद्वान खंड न्यायपीठ द्वारा पारित निर्णय भी देखा था। इस न्यायालय की विद्वान खंड न्यायपीठ ने पैरा 21 में, वर्तमान मामले अर्थात ***विनोद कुमार संगल बनाम भारत संघ*** **(1995) 4 एससीसी 246** में प्रकाशित, ***पी.एन. प्रेमचंद्रन बनाम केरल राज्य*** **(2004) 1 एससीसी 245** में प्रकाशित और ***भारत संघ व अन्य बनाम एनआर बनर्जी व अन्य*** **(1997) 9 एससीसी 287** में प्रकाशित; ***बैज नाथ शर्मा***

***बनाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर* (1998) 7 एससीसी 44** में प्रकाशित; ***के. माधवन बनाम भारत संघ* (1987) 4 एससीसी 566** में प्रकाशित; ***भारत संघ बनाम के.के. वाडेरा* 1989 पूरक (2) एससीसी 625** में प्रकाशित; ***उत्तराखण्ड राज्य बनाम दिनेश कुमार शर्मा* (2007) 1 एससीसी 683** में प्रकाशित किये गए मामलों में पक्षकारगण द्वारा उद्धृत निर्णयों के अर्थ और तात्पर्य पर विचार करते हुए, जिसमें उपरोक्त निर्णयों के विचार से कानून को स्पष्ट किया गया था। उक्त पैरा 21 को नीचे उद्धृत किया गया है:-

"21. ऊपर उल्लेखित केस कानून का सार स्थिति को स्पष्ट करता है: -

(i) सेवा न्यायशास्त्र भूतलक्षी पदोन्नति अर्थात पिछली तिथि से पदोन्नति को मान्यता नहीं देता है।

(ii) यदि कार्यपालिका को भूतलक्षी तिथि से पदोन्नति प्रदान करने के लिए अधिकृत करने वाला कोई नियम मौजूद है, तो भूतलक्षी तिथि से पदोन्नति प्रदान करने का निर्णय वैध होगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए शक्ति मौजूद है।

(iii) चूँकि दुर्भावना शक्ति के किसी भी प्रयोग या किए गए कार्य को कलंकित करती है, इसलिए जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, उसे उस स्थिति में रखा जाना चाहिए, जिसमें वह व्यक्ति स्वयं को पाता, यदि शक्ति का दुर्भावनापूर्ण और कलंकित प्रयोग या कार्य न होता, तो भूतलक्षी तिथि से पदोन्नति दी जा सकती है, यदि पदोन्नति में देरी दुर्भावनापूर्ण कार्य के कारण पाई जाती है, अर्थात जानबूझकर डीपीसी आयोजित करने में देरी करना, योग्य अभ्यर्थियों को पदोन्नति के अधिकार से वंचित करना, जिससे पूर्वाग्रह पैदा होता है।

(iv) यदि प्रशासनिक कारणों से एक वर्ष में डीपीसी नहीं हो सकती है और इसमें कोई दुर्भावना नहीं है, तो कोई भूतलक्षी पदोन्नति नहीं की जा सकती है।"

59. इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाला अन्य प्रासंगिक पहलू याचिकाकर्ता संघ द्वारा 10.04.1989 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन पर भरोसा करना है। भाग-II - विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की आवृत्ति (पैरा 3.1 और 3.2) का उद्धरण देना उचित होगा, जो इस प्रकार है:-

*"3.1 डीपीसी को नियमित वार्षिक अंतराल पर आयोजित किया जाना चाहिए ताकि पैनल बनाए जा सकें जिनका उपयोग वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति करने में किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु, संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे पिछले पैनल की समाप्ति से पहले ही डीपीसी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज जैसे सी.आर., सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र, वरिष्ठता सूची आदि एकत्र करके मौजूदा और प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू करें। यदि अपेक्षित हो तो डीपीसी को हर साल अप्रैल या मई में एक निश्चित तिथि पर आयोजित किया जा सकता है। मंत्रालयों/विभागों को अपने नियंत्रण में डीपीसी आयोजित करने के लिए समय-सारिणी निर्धारित करनी चाहिए और ऐसी समय-सारिणी निर्धारित करने के बाद, अपने किसी अधिकारी को विभिन्न काडर प्राधिकरणों पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार बनाकर इसकी निगरानी करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। **डीपीसी बैठकों के आयोजन में इस आधार पर देरी या टालमटोल नहीं की जानी चाहिए कि किसी पद के लिए भर्ती नियमों की समीक्षा/संशोधन किया जा रहा है। <u>किसी</u>***

<u>रिक्ति को रिक्ति की तिथि पर लागू भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाएगा, जब तक कि बाद में बनाए गए नियमों को स्पष्ट रूप से भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया हो।</u> चूंकि भर्ती नियमों में संशोधन आम तौर पर केवल भावी आवेदन के लिए होते हैं, इसलिए मौजूदा रिक्तियों को लागू भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए।

3.2 डी.पी.सी. की वार्षिक बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता को तभी समाप्त किया जाना चाहिए जब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो कि पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली कोई रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं या प्रश्नगत वर्ष के दौरान किसी अधिकारी का स्थायीकरण नहीं होना है।"

[जोर दिया गया]

60. उपयुक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कार्यालय ज्ञापन में यह प्रावधान था कि रिक्ति की तिथि को लागू भर्ती नियमों के अनुसार रिक्ति भरी जाएगी, जब तक कि बाद में बनाए गए नियमों को भूतलक्षी प्रभाव न दिया गया हो। यद्यपि वर्तमान मामले में नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है, तथापि भूतलक्षी प्रभाव देने वाला ऐसा कोई नियम भी नहीं है। इस प्रकार, यह न्यायालय यह समझने में असमर्थ है कि याचिकाकर्ता संघ किस कारण से भूतलक्षी प्रभाव वाले कार्यालय ज्ञापन पर भरोसा कर रहा है।

61. सर्वोच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जब तक रिक्तियों को भरने पर विचार करने के समय लागू भर्ती नियम नियुक्ति प्राधिकारी को भूतलक्षी पदोन्नति देने की शक्ति या

अधिकार प्रदान नहीं करते, तब तक किसी भी कर्मचारी को भूतलक्षी पदोन्नति मांगने का निहित या अमिट अधिकार नहीं है।

62. अब जहां तक वर्तमान मामले में उत्पन्न तथ्यों का संबंध है, निम्नलिखित तथ्य आवश्यक हो जाते हैं।

62.1. यह निर्विवाद है कि दिल्ली में जिला न्यायालयों के सहायक कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति आदि को नियंत्रित करने वाले नियम 02.12.2013 को "दिल्ली जिला न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2012" के नाम से प्रख्यापित किए गए थे।

62.2. दिनांक 29.01.2013 के पत्र के आधार पर, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग ने सहायक कर्मचारियों सहित डीएचजेएस के 50 अतिरिक्त पद और डीजेएस के 100 पद मंजूर किए थे।

62.3. उक्त पत्र में यह भी निर्धारित किया गया था कि न्यायिक अधिकारियों के पद भरे जाने पर सहायक कर्मचारियों के पद भरे जाएंगे। निर्धारित पदों की आवश्यकताएं (आरक्षित अवकाश सहित) उक्त पत्र में एक तालिका में दर्शाई गई थीं। उक्त तालिका नीचे उद्धृत है:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
_लेवल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. एस्टेट
नई दिल्ली -110002

महा निबंधक,
दिल्ली उच्च न्यायालय,
नई दिल्ली,

विषय: सहायक कर्मचारियों सहित डीएचजेएस के 50 अतिरिक्त पद और डीजेएस के 100 पदों का सृजन करना।

मुझे विषयगत प्रस्ताव का संदर्भ देने तथा गैर-योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पदों के सृजन हेतु माननीय उपराज्यपाल ________, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है, साथ ही प्रमाणित किया गया है कि न्यायिक अधिकारियों के पद भरे जाने पर सहायक कर्मचारियों के पद भरे जाएंगे।

क्रम सं.	**पद का नाम**	**निर्धारित पदों की संख्या (आरक्षित अवकाश सहित)**	
		50 डीएचजेएस पद हेतु	100 डीजेएस पद हेतु
1.	न्यायिक अधिकारी	50	100
2.	रीडर	55	110
3.	स्टेनोग्राफर	110	110
4.	अहलमद	55	110
5.	सहायक अहलमद	55	110
6.	चपरासी	110	110
	कुल	**435**	**650**

उक्त वित्त विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की सहमति से उनके दिनांक 29.01.2013 के यू.ओ. 542 डीएस2 के तहत जारी किया जा रहा है।

आपका आभार,

62.4. दोनों पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि इन 150 न्यायिक अधिकारियों के सहायक पद प्रथमतः उन न्यायिक अधिकारियों के चयन पर निर्भर हैं। दूसरे

शब्दों में, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की शर्त पर ही सहायक पद को भरने की आवश्यकता और अपेक्षा उत्पन्न होगी। यदि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में कोई देरी होती है या किसी कारण से न्यायिक अधिकारियों के पद नहीं भरे जाते हैं, तो सहायक पदों को भरने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होगी। उपयुक्त तालिका के अनुसार, जेए और एसजेए के संबंध में सहायक पदों की स्वीकृत संख्या 165 + 165 = कुल 330 पद है।

62.5. याचिकाकर्ता संघ में जेजेए, जेए और एसजेए शामिल बताए गए हैं, जिन्हें 24.09.2021 और 25.09.2021 को पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया गया था।

62.6. यह भी आक्षेपित नहीं है कि 2012 के नियमों के नियम 2 (15) (ख) में निर्धारित चयन समिति याचिकाकर्ता संघ का गठन करने वाले सदस्यों के संबंध में है। यह भी आक्षेपित नहीं है कि उपरोक्त कर्मचारियों से संबंधित पदोन्नति के नियम 2012 के नियमों की अनुसूची ख के अंतर्गत आने वाले समूह 'बी' और समूह 'सी' कर्मचारियों का हिस्सा हैं।

62.7. जेजेए के पदों के लिए, भर्ती नियमों में 80% पदों को सीधी भर्ती से तथा शेष 20% पदों को हेड जमादार/दफ्तरी/बुक बाइंडर/चपरासी/ऑर्डली/डाक चपरासी/फ्रेश-कम-डाक मैसेंजर/चौकीदार/माली/स्वीपर/सफाई कर्मचारी से लिखित

परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। इसमें कुछ आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं भी निर्धारित की गई हैं।

62.8. जेए के पदों हेतु, भर्ती नियमों में 100% पदों को जेजेए से वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। यह न्यायालय की स्थापना के सदस्यों के लिए शैक्षणिक योग्यता पांच साल के साथ स्नातक और 10 साल के साथ गैर-स्नातक जेजेए के रूप में निर्धारित करता है।

62.9. एसजेए के पदों हेतु, भर्ती नियमों में 50% पदों को वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाना निर्धारित है, जो स्नातक हैं और पांच वर्ष का अनुभव रखते हैं तथा गैर-स्नातक हैं जिन्होंने जेए के रूप में आठ वर्ष की सेवा की है। शेष 50% पदों को लिखित परीक्षा (डीसीई) और साक्षात्कार के आधार पर जेए से मेरिट के आधार पर चयन करके भरा जाना चाहिए, जो स्नातक हैं और पांच वर्ष का अनुभव रखते हैं तथा गैर-स्नातक हैं जिन्होंने जेए के रूप में आठ वर्ष की सेवा की है, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

62.10. यह भी निर्विवाद है कि 2013 में स्वीकृत 150 न्यायिक अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों के पदों को भरने की प्रक्रिया वर्ष 2017 में शुरू हुई

थी और सहायक पदों को वर्ष 2018 में शामिल किया गया था। इसके बाद ही प्रत्यर्थी सं. 1 ने वर्ष 2018 में इसे अधिसूचित करके 150 पदों के लिए रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू की।

62.11. याचिकाकर्ता संघ ने प्रत्यर्थी सं.1 के आरटीआई उत्तर को भी अभिलेख में रखा था, जिसमें खुलासा किया गया था कि सहायक पदों के संबंध में 2013 की रिक्तियों को वर्ष 2018 में शामिल किया गया था।

62.12. सुनवाई के दौरान श्रीमती अहलावत द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों से, जिन्हें अभिलेख में लिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने इस न्यायालय के महा निबंधक से लगातार पत्र व्यवहार किया था, जिसमें ऊपर संदर्भित दिनांक 29.01.2013 के मंजूर पत्र में सहायक कर्मचारियों के संबंध में अनुवृद्धि/शर्त को माफ करने का अनुरोध किया गया था, ताकि प्रत्यर्थी सं. 1 को सहायक कर्मचारियों के अतिरिक्त पदों की मांग/सृजन करने में सक्षम बनाया जा सके, ताकि नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी के कार्यभार संभालने तक पदों को भरा जा सके। ये पत्र, पदों और वेतनमानों व ग्रेड वेतन सहित, कम से कम 30.01.2016 से मार्च-अप्रैल, 2018 तक नियमित रूप से इस न्यायालय के महा निबंधक को भेजे जा रहे थे। यह केवल दिनांक 10.04.2018 को था कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने न्यायिक अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों के पद के संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विधि, न्याय,

कानूनी मामलों के विभाग के प्रमुख सचिव के साथ सीधे पत्राचार किया था, जो कि सहायक कर्मचारियों के पद को मंजूरी देने के लिए एक अलग अनुरोध के रूप में दिनांक 29.01.2013 के पत्र के अनुसार था। दिनांक 27.06.2018 के पत्र द्वारा, अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय और कानूनी मामले) ने प्रत्यर्थी सं. 1 को सूचित किया कि छूट की ऐसी कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है और यह पूरी तरह से एक प्रशासनिक मामला है जिसे प्रत्यर्थी द्वारा स्वयं लागू किया जा सकता है

62.13. प्रत्यर्थी के अनुसार, उसके बाद ही दिनांक 29.01.2013 के पत्र द्वारा स्वीकृत पदों के संबंध में सहायक कर्मचारियों की भर्ती के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू की गई।

63. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनेजा ने इस न्यायालय को अभिलेख में मौजूद लगभग हर दस्तावेज की जानकारी देने का कष्ट किया, जिनमें से कुछ दस्तावेज इस न्यायालय की अनुमति के बाद जनवरी, 2024 के महीने में दाखिल किए गए थे। उस आधार पर, उन्होंने प्रस्तुत किया कि भारी दस्तावेजी साक्ष्य यह स्थापित करेंगे कि प्रत्यर्थी न केवल वर्ष 2013 में उत्पन्न रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया में देरी कर रहा था, बल्कि 2012 के नियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने में भी घोर लापरवाही बरत रहा था। उनके अनुसार, प्रत्यर्थी प्रशासनिक चूक का भी दोषी था, जो याचिकाकर्ता संघ के

सदस्यों के लाभ के लिए होगी। उन्होंने आग्रह किया कि घोर लापरवाही और प्रशासनिक चूक याचिकाकर्ता संघ के उन प्रत्येक सदस्यों को भूतलक्षी पदोन्नति या कल्पित पदोन्नति के लिए एक समान अधिकार प्रदान करेगी, जिन्हें 24.09.2021 और 25.09.2021 को पदोन्नति दी गई थी।

64. श्री अनेजा ने कहा कि दिनांक 20.12.2023 की अधिसूचना जिसमें पात्र जेए को डीसी परीक्षा द्वारा एसजेए के इच्छित पदोन्नति पदों के लिए फॉर्म भरने के लिए कहा गया है, जिसमें यह शर्त है कि केवल वे जेए जो पांच साल की सेवा के साथ स्नातक हैं और आठ साल की सेवा के साथ गैर-स्नातक हैं, वे ही उक्त परीक्षा देने के लिए पात्र होंगे, यह पूरी तरह से अवैध, गैरकानूनी है और याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को डीसी परीक्षा प्रक्रिया द्वारा एसजेए के पदोन्नति पदों के लिए विचार किए जाने से मनमाने ढंग से वंचित करता है। अधिसूचना के अनुसार पात्रता की कट-ऑफ तिथि 03.01.2024 थी।

65. श्री अनेजा के अनुसार यह कानून के विपरीत होगा, साथ ही वर्तमान मामले में प्राप्त तथ्य भी।

66. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि यदि वर्ष 2013 नहीं, तो याचिकाकर्ता संघ के पात्र सदस्यों को कम से कम दिनांक 23.08.2017 तक जेजेए से जेए और जेए से एसजेए के रूप में माना जाना चाहिए था, जब प्रत्यर्थी

सं. 1 ने इस न्यायालय के दिनांक 22.03.2010 के रि.या.(सि) 5686/1998 अर्थात *“जगदीश राणा व अन्य बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य”* में पारित निर्णय और दिनांक 02.05.2017 को *अवमानना वाद (सि)* 1079/2016 अर्थात *“जगदीश राणा व अन्य बनाम केवल कुमार शर्मा व अन्य”* में पारित आदेश के अनुसरण में जेजेए को जेए के रूप में पदोन्नति/उन्नयन प्रदान किया गया। प्रत्यर्थी ने 23.08.2017 तक पात्र सदस्यों पर विचार न करके याचिकाकर्ता संघ के ऐसे सदस्यों को अगले रैंक में पदोन्नत होने से वंचित कर दिया और परिणामस्वरूप वे अधिसूचना दिनांक 20.12.2023 के तहत प्रस्तावित डीसी परीक्षा के लिए अयोग्य हो गए। यदि याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को वर्ष 2017 या 2018 से कल्पित पदोन्नति या भूतलक्षी पदोन्नति के लिए पात्र माना जाता, जब दिनांक 29.01.2013 के पत्र में निर्धारित सहायक कर्मचारियों के मंजूर पदों को शामिल किया गया था, तो याचिकाकर्ता संघ के सदस्य स्वचालित रूप से डीसी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो जाते, चूकि उनमें से प्रत्येक सदस्य की उक्त अधिसूचना में निर्धारित कट-ऑफ तिथि तक, जैसा भी मामला हो, पांच या आठ साल की सेवा होगी। जानबूझकर विधि का पालन न करके याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को उक्त परीक्षा के लिए विचार के अधिकार से भी वंचित किया गया है, जो कि प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा नहीं किया जा सकता था।

67. विद्वान अधिवक्ता ने दलीलों के दौरान सुश्री अहलावत द्वारा अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का संदर्भ देते हुए कहा कि उक्त पत्रों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी सं. 1 न केवल प्रशासनिक देरी का दोषी है, बल्कि जानबूझकर और अनियंत्रित लापरवाही का भी दोषी है। उन्होंने 09.09.2014 के पत्र के आधार पर यह दलील दी कि वर्ष 2014 में ही इस न्यायालय के महा निबंधक ने प्रत्यर्थी सं. 1 को सहायक कर्मचारियों के अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्तावों के संबंध में दिल्ली के जीएनसीटी से सीधे पत्राचार करने के लिए सूचित किया था, ताकि नवनियुक्त न्यायिक अधिकारियों के कार्यभार संभालने तक पदों को भरा जा सके। ऐसे स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, प्रत्यर्थी सं. 1 ने 10.04.2018 तक लगातार महा निबंधक से लापरवाही और अनियंत्रित तरीके से पत्राचार किया। श्री अनेजा के अनुसार, यह न केवल प्रशासनिक चूक की स्वीकृति है, बल्कि 2012 के नियमों के वैधानिक प्रावधान का पालन करने में प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से लापरवाही भी है। इस प्रकार, वह प्रार्थना करते हैं कि यह न्यायालय, यदि कानून के आधार पर नहीं, तो तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 को याचिकाकर्ता संघ के प्रत्येक पात्र सदस्य को पदोन्नति के पदानुक्रम में अगले पदोन्नति पद के लिए काल्पनिक या भूतलक्षी पदोन्नति प्रदान करने का निर्देश दे।

68. उपरोक्त दस्तावेजों के संबंध में, श्री अनेजा ने विकल्पतः रूप से प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता संघ द्वारा एक ही पहलू पर रि.या.(सि.) सं.

2719/2018 और 5940/2020 वाली दो बार रिट याचिकाएं दायर करने के बावजूद, प्रत्यर्थी सं. 1 ने इन दस्तावेजों को दाखिल नहीं किया, *जो कि गलत सुझाव के बराबर होगा* और प्रत्यर्थी सं. 1 को अपनी गलतियों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

69. *इसके विपरीत*, श्रीमती अहलावत ने बहस के दौरान सौंपे गए दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया है कि पत्र, प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से लापरवाही या प्रशासनिक चूक को दर्शाने के बजाय, वास्तव में यह दर्शाते हैं कि प्रत्यर्थी सं. 1 वास्तव में 29.01.2013 के मंजूरी पत्र के अनुसार 150 न्यायिक अधिकारियों के पद के कारण उत्पन्न सहायक रिक्तियों को भरने के लिए पूरी ईमानदारी और गंभीरता से काम कर रहा था।

70. उन्होंने दलील दी कि 2013 से 2018 की अवधि के दौरान, जेए और एसजेए के सहायक पद जो भरे जा रहे थे, वे न्यायिक अधिकारियों के उन पदों से संबंधित थे जो बैकलॉग रिक्तियां थीं और 29.01.2013 के मंजूरी पत्र के तहत न्यायिक अधिकारियों के सभी 150 पदों के संबंध में नहीं थे। उनके अनुसार, बहस के दौरान सौंपे गए दस्तावेजों का हिस्सा बनने वाले चार्ट सहित प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से अभिलेख पर रखे गए दस्तावेज, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 1 और इस न्यायालय के महा निबंधक के बीच पत्राचार आदान-प्रदान किया गया, व न्यायिक अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों के भरे हुए पदों को दर्शाते हुए

वर्षवार रिक्तियों को दर्शाया गया था, ये सभी कुछ नई रिक्तियों को छोड़कर बैकलॉग रिक्तियों से संबंधित थे।

71. सुश्री अहलावत के अनुसार, जिस पर कोई विवाद नहीं है, इस न्यायालय ने वर्ष 2017-2018 तक 150 न्यायिक अधिकारियों के पदों को भरने की पहल नहीं की। पदों को बाद में भरे जाने के बाद, सहायक पदों को भरने को भी प्रोत्साहन मिला। वर्ष 2018 से 2020-2021 के बीच का समय, जब याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों द्वारा सहायक कर्मचारियों के पदोन्नति पदों को नहीं भरा गया, जानबूझकर की गई देरी नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक कारणों और कोविड-19 के प्रभाव के कारण थी, जिसने प्रशासनिक पक्षकार पर भी जिला न्यायालयों के सुचारू कामकाज को कमजोर कर दिया। पहली बार, जब पदोन्नति पदों को भरना संभव हुआ, तो बिना किसी और देरी के ऐसा किया गया और याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को आधिकारिक कार्यभार संभालने की तारीख से नियमों के अनुसार पदोन्नति प्रदान की गई। हालांकि, उक्त कोविड अवधि के दौरान, प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा वर्चुअल डीपीसी आरंभ करने और आयोजित करने के लिए सभी प्रयास और कोशिश लगन से किए गए थे। वास्तव में 2018 की अवधि से, यह कहा गया है कि कई डीपीसी आयोजित की गई थीं और बैकलॉग रिक्तियों को तदनुसार समायोजित किया गया था।

72. श्रीमती अहलावत ने यह भी कहा कि रिट याचिका पहले ही तैयार हो चुकी है और सि.वि.आ. सं. 34989/2021 और 171/2024 वाले आवेदनों के आधार पर याचिकाकर्ता उन राहतों की मांग नहीं कर सकते हैं, जो मुख्य रिट याचिका में पहले नहीं मांगी गई थी। इस प्रकार, वह प्रस्तुत करती हैं कि रिट याचिका को अनुकरणीय लागतों सहित खारिज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी गैर-मान्यता प्राप्त संघ की बहुप्रयोजन प्रार्थनाएँ, जिसमें उक्त संघ के किसी भी सदस्य के संबंध में कोई विवरण नहीं है, सेवा न्यायशास्त्र में समर्थित नहीं हो सकती हैं और इसलिए, इस आधार पर भी, रिट याचिका संधार्य नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वह प्रस्तुत करती हैं कि तथाकथित संघ का कोई भी व्यक्ति इस न्यायालय या प्रत्यर्थी सं. 1 के समक्ष भूतलक्षी या कल्पित पदोन्नति की मांग करने के लिए अपनी व्यक्तिगत पात्रता दिखाने और प्रदर्शित करने के लिए आगे नहीं आया है। उनके अनुसार, उपरोक्त को देखते हुए, याचिकाकर्ता संघ के किसी भी सदस्य के पास वर्तमान रिट याचिका को बनाए रखने हेतु न तो कोई वाद हेतुक है और न ही कोई अधिकार है।

73. उपयुक्त तर्कों को सुनने के पश्चात, यह देखा जाना बाकी है कि मुद्दा ***(क)*** का मुद्दा ***(ख)*** पर क्या प्रभाव होगा।

74. इस न्यायालय द्वारा इस मुद्दे (क) पर समग्र विचार, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***के.के. वाडेरा*** *(पूर्वोक्त)* से लेकर ***हिमाचल प्रदेश राज्य*** *(पूर्वोक्त)* और ***के.एल. तनेजा*** *(पूर्वोक्त)* तक के निर्णयों में सेवा न्यायशास्त्र में विकसित कानून शामिल है, इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित करता है कि **मुद्दे *(क)* का उत्तर नकारात्मक है**, जिसमें कर्मचारियों को भूतलक्षी/कल्पित पदोन्नति का कोई निहित या अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं है, जब तक कि भर्ती नियमों में ऐसा प्रावधान न हो।

75. जहां तक मुद्दा ***(ख)*** का संबंध है, वह निम्नानुसार है:

> ***ख. यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रश्न (क) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या याचिकाकर्ता संघ के सदस्य एसजेए के पद के लिए दिनांक 20.12.2023 की अधिसूचना के अनुसार डीसी परीक्षा में भाग लेने के पात्र हैं, जो अब अस्थायी रूप से दिनांक 11.02.2024 को आयोजित होने वाली है?***

चूंकि मुद्दे ***(क)*** के संबंध में इस न्यायालय के निष्कर्ष का उत्तर नकारात्मक में दिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता संघ के सदस्य 11.02.2024 को आयोजित होने वाली विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए स्वतः ही अयोग्य हो जाएंगे। **मुद्दा *(ख)* का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।** इस प्रकार, जो आवेदन दायर किए गए हैं, उनमें गुणागुण के आधार पर कोई बल नहीं हैं और उन्हें इस प्रकार खारिज किया जाता है।

76. याचिकाकर्ता संघ ने प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा जारी दिनांक 25.09.2020 के पत्र पर भी आपत्ति जताई थी, जिसमें मांग की गई थी कि इसे रद्द कर दिया जाए और अपास्त किया जाए। मुद्दे ***(क)*** और ***(ख)*** के संबंध में इस न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्षों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए अपरिहार्य विधि को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित पत्र की जांच पूरी तरह से एक अकादमिक अभ्यास होगी, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा किसी भी अवलोकन की आवश्यकता नहीं होगी।

77. मुद्दे ***(क)*** और ***(ख)*** पर पूर्वोक्त निष्कर्ष को देखते हुए, रिट याचिका में कोई बल नहीं है तथा इसे सभी लंबित आवेदनों सहित खारिज किया जाता है।

तुषार राव गेदेला
(न्यायाधीश)

फरवरी 05, 2024
ए. जे./एन. डी./एमएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)
अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|*